संघर्षरत मेहनतकश

अंक-46 जनवरी-मार्च, 2022 सहयोग राशि : पंद्रह रुपये

- बजट 2022: क्यों आमजन विरोधी है?
- पाँच राज्यों में चुनाव, जन मुद्दे ग़ायब
- 23 हजार करोड़ का बम्पर बैंक घोटाला
- लेबर कोड रद्द करो, निजीकरण बंद करो!
- 28-29 मार्च की देशव्यापी हड़ताल

हमें देश की सुरक्षा से ख़तरा है

–अवतार सिंह 'पाश'

क्रान्तिकारी कवि 'पाश' के शहादत दिवस 23 मार्च के अवसर पर उनकी कविता

यदि देश की सुरक्षा यही होती है
कि बिना जमीर होना ज़िन्दगी के लिए शर्त बन जाए
आँख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द
अश्लील हो
और मन बदकार पलों के सामने दण्डवत झुका रहे
तो हमें देश की सुरक्षा से ख़तरा है।

हम तो देश को समझे थे घर-जैसी पवित्र चीज़
जिसमें उमस नहीं होती
आदमी बरसते मेंह की गूँज की तरह गलियों में बहता है
गेहूँ की बालियों की तरह खेतों में झूमता है
और आसमान की विशालता को अर्थ देता है

हम तो देश को समझे थे आलिंगन-जैसे एक एहसास का नाम
हम तो देश को समझते थे काम-जैसा कोई नशा
हम तो देश को समझते थे क़ुरबानी-सी वफ़ा

लेकिन गर देश
आत्मा की बेगार का कोई कारख़ाना है
गर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है
तो हमें उससे ख़तरा है

गर देश का अमन ऐसा होता है
कि कर्ज़ के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह
टूटता रहे अस्तित्व हमारा
और तनख़्वाहों के मुँह पर थूकती रहे
क़ीमतों की बेशर्म हँसी
कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो
तो हमें अमन से ख़तरा है

गर देश की सुरक्षा को कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा
कि वीरता बस सरहदों पर मर कर परवान चढ़ेगी
कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा
अक़्ल, हुक्म के कुएँ पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी
तो हमें देश की सुरक्षा से ख़तरा है।

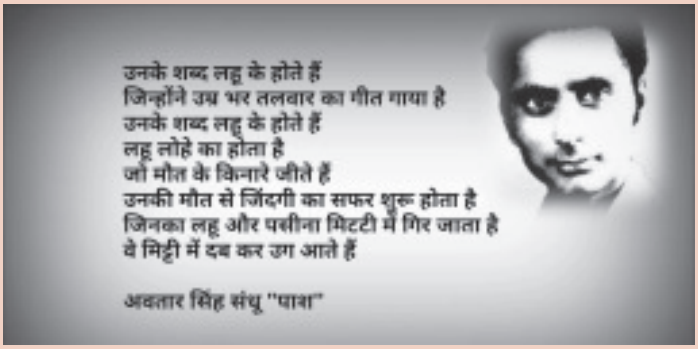

पाठक साथियों से अपील

साथियों,

'संघर्षरत मेहनतकश' पत्रिका बेहद कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 की बंदिशों के बीच पत्रिका का प्रकाशन व वितरण बेहद मुश्किल रहा। अर्थिक संकट भी गहरा गया। ऐसी स्थिति में हम पत्रिका को नियमित रूप से नहीं निकाल सके हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर हम मेहनतकश साथियों से लगातार जुड़े हुए हैं।

हम पत्रिका नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कागज और छपाई की बढ़ती कीमतों के कारण इस अंक से पत्रिका की क़ीमत भी बढ़ाने को हम मजबूर हैं। उम्मीद है कि पहले की तरह हमें अपका आर्थिक/सक्रिय सहयोग मिलता रहेगा।

आइए 'मेहनतकश' सोशल मीडिया से भी हमसे जुडें, संघर्ष व हालात की ख़बरें भेजें और देश-दुनिया की मेहनतकश जन के हालात को जानें!

–सम्पादक

➲ 'मेहनतकश' वेबसाइट- www.mehnatkash.in
➲ 'मेहनतकश' चैनल- www.youtube.com
➲ 'संघर्षरत मेहनतकश' फेसबुक पेज पर पहुँचें!

संघर्षरत **मेहनतकश**

अंक–46 जनवरी–मार्च, 2022

सहयोग राशि : पन्द्रह रुपये

इस अंक में

कवर –2 पाश
कवर –3 कार्टून
कवर –4 : भगत सिंह

सामयकी
चुनाव – फिर जन मुद्दे गायब 4
सुविधाओं से वंचित प्रवासी मज़दूर 10

अन्दोलन
दो दिवसीय मज़दूर हड़ताल 5
क्या है नया लेबरकोड 6
मज़दूर–किसान एकजुटता... 12

आवरण कथा
बजट 2022... 8–9
बम्पर बैंक घोटाला 17
गहन अंधकार में उम्मीद... 18–19

मज़दूरनामा
ऑटो उद्योग के अस्थाई मज़दूर 11
छँटनी–बन्दी के संघर्ष में... 20
डाइडो मज़दूर दमन के शिकार 22

श्रमजीवी महिला
ट्रेडयूनियन में महिला श्रमिक 13
घरेलू कामगार : चित्र कथा 14–15

दुनिया में प्रतिरोध संघर्ष 27

विरासत
आओ भगतसिंह को जानें... 29

सम्पादक

मुकुल

अमित चक्रवर्ती द्वारा जीतेन्द्र कुमार पुत्र बिरेन्द्र सिंह, ग्राम–पोस्ट बुड़ोली, जिला रेवाड़ी (हरियाणा)–123411 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, शहादरा दिल्ली–95 से मुद्रित।

सम्पर्क:

फोन: 09412969989, 09873057637

mehnatkash2015@gmail.com

इस अंक के सभी कॉर्टून विभिन्न श्रोतों से साभार

अनियतकालीन, अव्यवसायिक और निजी वितरण हेतु

भयावह बेरोज़गारी क्यों?

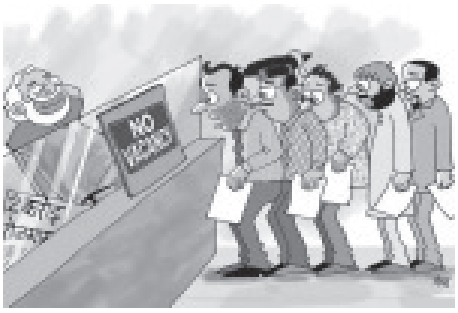

बीते दिनों रेलवे की परीक्षा में धांधली के बाद यूपी और बिहार में नौजवान आंदोलित हुए। इलाहबाद में संघर्षरत युवाओं के पुलिसिया दमन से यह आन्दोलन और फ़ैल गया।

दरअसल, युवाओं में गुस्से की बड़ी वजह बेरोजगारी है, जो 50 सालों में सबसे अधिक है। सीएमई के अनुसार भारत में दिसंबर 2021 तक युवा बेरोजगारों की संख्या 5.3 करोड़ है। यह संख्या 2020 में देशभर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है।

स्थिति यह है कि बेरोजगारी के कारण देश में खुदकुशी लगातार बढाती जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3,548 लोगों ने आत्महत्या कर ली। जबकि 2018 से 2020 के बीच बेरोजगारी के कारण 9,140 लोगों ने खुदकुशी की। इसी अवधि में 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर ली।

हालांकि वास्तविकता इन आंकड़ों से क़ाफी ज्यादा है। बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की भी है जिन्हें बेरोज़गारी के आँकड़ों में गिना ही नहीं जाता, लेकिन वास्तव में उनके पास साल में कुछ दिन ही रोज़गार रहता है या फिर कई तरह के छोटे–मोटे काम करके भी वे मुश्किल से जीने लायक कमा पाते हैं।

देश में 28 लाख सरकारी पद खाली हैं। जबकि काम करने वालों की और प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बुनियादी सुविधाओं के विकास और रोज़गार के अवसर पैदा करने की अनन्त सम्भावनाएँ मौजूद हैं, फिर भी इस क़दर बेरोज़गारी क्यों मौजूद है?

दरअसल बेरोजगारी पूँजीवादी समाज की आम परिघटना है। मुनाफे की अंधी हवस से बेरोजगारी बढ़ती जाती है। पूँजीवाद में बार–बार आने वाले आर्थिक संकटों के दौर में बेरोज़गारों की "रिज़र्व सेना" में भारी बढ़ोत्तरी होती है। ऐसे में मज़दूरों की एक तादाद हमेशा मौजूद रहती है जिनके पास जीने के लिए अपनी श्रमशक्ति बेचने के अलावा और कोई साधन नहीं होता, मगर उन्हें कोई काम नहीं मिलता, वे बेरोज़गार होते हैं। बड़े पैमाने पर मज़दूरों–कर्मचारियों को अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए आर्थिक संकट के गहराने के साथ हर दिन बेरोज़गारों की तादाद में बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

रोजगार की माँग पर युवाओं का दमन तेज हो जाता है। रेलवे भर्ती में धांधली के ख़िलाफ आन्दोलन का दमन हो या रोजगार माँग रहे नौजवानो पर योगी सरकार का दमन। उधर दो करोड़ रोजगार का वायदा करके सत्ता की गद्दी पाने वाले जनाब मोदी ने "पकौड़ा बेचने का रोजगार" थमा दिया और बेरोजगार युवाओं को साम्प्रदायिक जुनून में फंसा दिया।

यह ध्यान देने की बात है कि देश के संविधान की धारा 41 में सबको नौकरी के अधिकार की बात की गई है। हालाँकि इसका पालन किसी भी सरकार ने नहीं किया। नव उदारवादी इस दौर में रोजगार देना तो दूर, छीनने का ही काम होता रहा, जो मोदी युग में चरम पर है। नए लेबर कोड द्वारा नौकरी का अधिकारी खत्म किया जा रहा है। स्थाई रोजगार की जगह "फिक्स्ड टर्म" का क़ानून बन चुका है।

ऐसे में रोज़गार के सवाल पर एक मजबूत और व्यापक आन्दोलन खड़ा करना ज़रूरी है जो सबके लिए रोज़गार की व्यवस्था करने की सरकार की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दे।

लाखों खाली पड़े पदों पर भर्ती करने; बन्द कारख़ानों, खदानों आदि व सार्वजनिक निर्माण के जनोपयोगी कामों को शुरू कराने; ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके नियमित रोज़गार देने; छंटनी–बंदी–फिक्स्ड टर्म पर रोक लगाने; रोजगार मिलने तक बेरोज़गारों को जीवनयापन लायक बेरोज़गारी भत्ता देने जैसी माँगों को पुरज़ोर ढंग से उठाने की ज़रूरत है।

पाँच राज्यों में चुनावी सरगर्मियाँ
एकबार फिर जन मुद्दे गायब; सांप्रदायिक खेल तेज

सम्पादकीय डेस्क

पांच राज्यों उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर का चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब देश का मेहनतकश ही नहीं मध्यम वर्ग भी तबाह व बेहाल है। उधर 13 महीने के जुझारू संघर्ष से किसानों ने एक शानदार जीत हासिल की और धर्म-जाति के बंटवारे को तोड़कर एक मजबूत एकता की मिसाल पेश की।

चुनावी मौसम शुरू होते चुनावी मेंढकों ने उछलकूद मचाना शुरू कर दिया। उधर संकटग्रस्त मेहनतकश जनता के सामने मुद्दाविहीन पार्टियां जनता को बांटने के खेल में मशगूल हो गई।

संघ-भाजपा की मोदी-योगी सरकार अपने कारनामों को छिपाने और जनविरोधी नीतियों से तंग मेहनतकश जनता को बांटने के लिए खतरनाक सांप्रदायिक खेल भी तेज कर दिया।

उत्तराखंड के रुद्रपुर में गोकशी की घटना, यति नरसिंहानंद से लेकर वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बने नए भगवाधारी के खतरनाक भाषण, हिन्दू जागरण मंच द्वारा रुड़की में मंदिर तोड़ने की अफवाह, केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की अफवाह से लेकर मथुरा में लगातार सांप्रदायिक माहौल बनाने सहित तमाम हथकंडे जारी हैं।

महँगाई बेलगाम है। लॉकडाउन में देश के अरबपतियों की दौलत 35 फ़ीसदी की रफ्तार से बढ़ गई और इसी दौरान लोगों की नौकरियां छिनती गईं। लेकिन यह चुनावी मुद्दा नहीं है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान यूपी की योगी सरकार हो, उत्तराखंड की भाजपा सरकार, या अन्य सरकारें, केंद्र सरकार की कॉरपोरेटपरस्त नीतियों को ही लागू करने में मोदी से तेज गति से दौड़ लगाती रही हैं। मोदी की सरपरस्ती में मज़दूरों के श्रम कानूनी अधिकारों को खत्म करके तैयार मालिकपक्षीय चार श्रम संहिताओं को राज्य सरकारों ने तेजी से लागू किया और इनकी नियमावलियां भी तैयार कर दी हैं।

उत्तरप्रदेश में 3 साल तो उत्तराखंड में 1000 दिनों के लिए श्रम कानूनों पर पाबंदी लगी। हड़ताल के संवैधानिक अधिकार को कुचलकर कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगे। स्थाई रोजगार की जगह फिक्स टर्म को कानूनी मान्यता दी। छँटनी-बंदी को बेलगाम बनाया।

सरकारी संस्थाओं-उद्यमों की बिक्री/निजीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया।

कोरोना के बहाने जनता के सीमित अधिकारों को भी पाबंद कर पुलिस राज को बेलगाम बनाया गया। उधर बच्चों और सामानों को लादे हुए मरते-कटते, घर वापस लौटे हजारों मज़दूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया।

योगी सरकार बनते ही गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दर्जनों बच्चों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया था। जबकि आपदा में कोरना से ज्यादा लोग दवा-इलाज और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी बेहद बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बेमौत मारे गए। सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था की पोल पूरी तरीके से खुल गई। उधर नदियों में लाशें उतराती रहीं।

योगी ने विशेष सुरक्षा बल का गठन करके तानाशाही को बेलगाम बनाया। राज्य कर्मचारियों पर दमनकारी एस्मा थोपा, जबकि अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों को स्वयं ही खत्म कर दिया। तमाम आंदोलनों का दमन किया। एक लाख स्थाई शिक्षकों को नौकरी से हटाया।

महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर पहुंच गया। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, नित्यानंद, कैलास आदि के कारनामे; उन्नाव से लेकर हाथरस की दलित लड़की से बलात्कार व हत्या; सहारनपुर की शब्बीरपुर में दलितों पर हमले आदि महज बानगी हैं। पूरा योगीराज हिंदू फासीवाद की प्रयोगशाला रहा। गोरक्षा, लवजिहाद के बहाने हमले बेलगाम रहे; सत्ता संरक्षित अपराधियों को खुली छूट मिली और विरोधी आवाज को कुचलने व निर्दोषों को जेलों में ठूंसने का काम तेजी से चला।

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और कारनामों को ढंकने के लिये महज 4 महीने में तीन मुख्यमंत्री थोप दिए गये। लेकिन "डबल इंजन" की सरकारों का मुख्य एजेंडा देसी-विदेशी पूंजीपतियों व खनन माफियाओं की लूट बेलगाम बनाना रहा। छँटनी-बंदी, जायज संघर्षों को कुचलने का काम तेजी से बढ़ता रहा।

पिछले 22 सालों से उत्तराखंड की आम जनता के दुख दर्द को मिटाने की जगह भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने और बढ़ाया है। राज्य से पलायन रोककर रोजगार मिलने का सपना भी तिरोहित हो गया। सरकारी महकमों में रोजगार समाप्त प्राय है। सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में ठेका-ट्रेनी के नाम पर ठगी के साथ कम्पनियाँ भारी सब्सिडी, रियायतों को हड़पकर मज़दूरों को बेरोजगार कर पलायन करती रहीं।

उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में देश में सबसे महंगी पर्ची व जांचें है, जिसमें हर साल 10 फीसदी की और वृद्धि होती है।

पंजाब में, एक बड़े किसान आन्दोलन, जिसका एक प्रमुख निशाना कॉर्पोरेट था, के बाद हो रहे चुनाव में कोई भी पार्टी कॉर्पोरेट पूँजी को निशाना नहीं बना रही है, न ही एजेंडा में मज़दूरों का मुद्दा है। उधर कुछ किसान संगठन "संयुक्त समाज मोर्चा" के नाम से लड़ रहे है, मगर किसान आन्दोलन का बहुसंख्यक संघर्षशील हिस्सा इस चुनावी प्रक्रिया से अलग है।

यह साफ है कि चुनाव में जो विकल्प मौजूद हैं उनसे जनता का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। सरकारें आम जनता को कुछ देने की जगह मजहबी खून खराबे में जरूर धकेल सकती हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश-समाज के यही हालात हैं। शहीदे आज़म भगतसिंह और साथियों ने जिस समाज का सपना देखा था, जहां हर हाथ को काम मिले हर पेट को रोटी, चौतरफा अमन चैन हो, उत्पादन बाजार नहीं बल्कि आम जनता की आवश्यकताओं के लिए हो, जहां आदमी द्वारा आदमी का शोषण ना हो, वह नहीं बन पाया।

जाहिरा तौर पर यह चुनाव भी गुजर जाएगा, लेकिन समतामूलक समाज बनाने का संघर्ष बाकी रहेगा, जिसके लिए मज़दूर-मेहनतकश को आगे आना होगा!

28–29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान

मोदी सरकार की जनविरोधी, मज़दूर विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ 28–29 मार्च 2022 को देशव्यापी हड़ताल होगी। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच ने इसकी घोषणा की है। हड़ताल को केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों, विभिन्न यूनियनों, मज़दूर संगठनों ने समर्थन दिया है। इसमें बैंक, बीमा, बिजली, कोल माईनस से लेकर रोडवेज व पुरानी पेंशन बहाली के कर्मचारी निजी क्षेत्र के मज़दूर शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स ने 11 नवंबर, 2021 को संसद के बजट सत्र के दौरान 23–24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। केंद्रीय यूनियनों की 28 जनवरी को वर्चुअल बैठक में पांच राज्यों में होने वाले चुनाव, करोना के नाम पर सरकारी बंदिशों और फरवरी में संसद का सत्र स्थगन देखते हुए प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल की तिथि 28–29 मार्च 2022 तय हुई। ज्ञात हो कि संयुक्त मंच में इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एआईसीसीटीयू, सेवा, एलपीएफ और यूटीयूसी शामिल हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है।

आज मज़दूर आंदोलन एक कठिन चुनौतीपूर्ण दौर में खड़ा है। ऐसे में किसी वास्तविक जुझारू आन्दोलन को विकसित करने के बदले रस्म के तौर पर कभी–कभार एक–दो दिन की सांकेतिक हड़ताल से कुछ खास नहीं होगा। गौरतलब है कि 23–24 फरवरी की घोषित हड़ताल की एक महीना पहले तारीख़ बादल दी गयी। हड़ताल के लिए औपचारिक रूप से ढ़ेरों माँगें हैं लेकिन सबसे अहम नए लेबर कोड को संघर्ष के मुख्य फोकस में नहीं लाया गया है। जमीनी स्तर पर, विषेश रूप से निजी क्षेत्र में ताक़त न लगाकर बैंक, बीमा व सरकारी क्षेत्र में हड़ताल सफल बनाकर यह पीठ थपथपाना है, जैसा कि पिछले हड़तालों में देखा गया। आज ज़रूरत है कि सभी क्षेत्र के मज़दूरों–कर्मचारियों की व्यापक वर्गीय एकता के साथ आर–पार का आन्दोलन खड़ा किया जाए।

मासा ने हड़ताल को दिया समर्थन

रस्म अदायगी नहीं, निरंतर, जुझारू व निर्णायक संघर्ष का आह्वान

26 जनवरी को मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) की ऑनलाइन मज़दूर कन्वेंशन में मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों की मुख़ालफ़त हुई, मज़दूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने, निजीकरण–कॉरपोरेटीकरण नीतियाँ खत्म करने, महंगाई बेरोजगारी पर लगाम लगाने आदि मांग बुलंद हुई। केंद्रीय यूनियनों की दो दिनी देशव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया गया।

साथ ही मज़दूर आंदोलन को कुछ एक सालाना हड़तालों की रस्म अदायगी से बाहर निकाल कर निरंतर जुझारू और निर्णायक संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

वक्ताओं ने कहा कि चार लेबर कोड दरअसल बाजपेयी सरकार के दौरान बनी द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट को अमलीजामा पहनाना है। स्थाई नौकरी, यूनियन बनाने, हड़ताल करने आदि को खत्म करके मनमर्जी रखने–निकालने की नीतियां अमल में लाई जा रही हैं।

आज मज़दूर आंदोलन एक कठिन चुनौतीपूर्ण दौर में खड़ा है और अब कुछ एक छोटी मोटी हड़ताल और आंदोलनों की जगह सतत और लंबे जुझारू आंदोलन के लिए मज़दूरों को कमर कसना होगा, जाति मजहब के सभी प्रकार के बंटवारे की दीवारों को तोड़कर वर्गीय एकता के साथ संघर्ष तेज करना होगा।

टीयूसीआई के कॉ. संजय सिंघवी ने कहा कि संविधान में मिले अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया है। चाहे नौकरी व शिक्षा पाने का अधिकार हो, या जीवन जीने लायक वेतन का।

ग्रामीण मज़दूर यूनियन बिहार के कॉ. अशोक ने कहा कि आज लड़ाई आर्थिक नहीं राजनीतिक है, फासीवादी निजाम के खिलाफ है।

मज़दूर सहयोग केंद्र से कॉ. मुकुल ने कहा कि 1980 के दशक से शुरू नई नीतियों ने पूँजी को बेलगाम बनाया और अधिकारों को छीनने, निजीकरण, दमन बढ़ाने का काम किया।

कर्नाटका श्रमिक शक्ति से कॉ. बालन ने कहा कि आज लड़ाई 5 बनाम 95 फीसदी की है, जिसका बड़ा हिस्सा दलितों का है।

जन संघर्ष मंच हरियाणा के कॉ. पाल सिंह ने सीएए विरोधी व जुझारू किसान आन्दोलन की निरंतरता का हवाला दिया।

आईएफटीयू के कॉ एस वी राव ने कहा कि आज जैसे हमले हो रहे हैं उसमें 2 दिन की हड़ताल नहीं वर्गीय एकता के साथ बेमियादी हड़ताल की ओर आगे बढ़ना होगा।

इंकलाबी मज़दूर केंद्र के कॉ. श्यामबीर ने कहा कि आज ठेका, ट्रेनी, अप्रेंटिस आदि बड़ी आबादी असंगठित है, जिसे वर्गीय एकता के साथ संगठित करके आगे बढ़ने की जरूरत है।

एसडब्लूसीसी पश्चिम बंगाल से कॉ मुनमुन ने कहा कि देश की 97 फीसदी आबादी असंगठित क्षेत्र में और असंरक्षित है।

आईएफटीयू सर्वहारा के कॉ. कन्हाई बर्नवाल ने कहा कि देसी–विदेशी पूँजी और फासिस्ट सत्ताधारियों के खिलाफ आंदोलन जरूरी है।

मज़दूर सहायता समिति के कॉ. मोहित ने मज़दूरों के बीच जमीनी स्तर पर काम बढ़ाने की ज़रूरत बताई। संचालन कॉ. सिद्धांत ने की।

मासा की प्रमुख मांगें–

मज़दूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करने; रु25,000 न्यूनतम मजदूरी, श्रम कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, यूनियन का अधिकार, हड़ताल का अधिकार और कार्य का सम्मानजनक–सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने; ठेकेदारी प्रथा खत्म करने; स्थायी काम पर स्थायी मजदूर और समान काम का समान वेतन देने; सार्वजानिक संपत्तियों का निजीकरण–मुद्रीकरण फौरन बंद करना आदि!

मज़दूर कार्यशाला

मज़दूरों ने जाना कैसे लेबर कोड मज़दूरों को बनाएंगी अधिकार विहीन

बंगलुरु। मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) द्वारा 17 व 18 दिसम्बर को आयोजित दो दिवसीय मज़दूर कार्यशाला मज़दूर विरोधी श्रम संहिताओं और निजीकरण/कॉरपोरेटीकरण की मुख़ालफत के साथ संपन्न हो गया।

बंगलुरु के आईएसआई सभागार में आयोजित कार्यशाला की शुरुआत काकोरी के अमर शहीदों राजेंद्र लाहिड़ी (17 दिसंबर) और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ उल्ला खां व रोशन सिंह (19 दिसंबर) की याद में साझी सहादत-साझी विरासत का संकल्प लेने के साथ हुई। साथ ही किसान आंदोलन, कोविड-19 और विभिन्न कारखानों-स्थानों पर मृतक मजदूर-मेहनतकशों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया गया।

मज़दूर विरोधी श्रम संहिताएँ

कार्यशाला के पहले दिन 44 श्रम क़ानूनों को खत्म करके बनाई गई चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) पर विस्तृत चर्चा हुई।

औद्योगिक श्रम संहिता

अधिवक्ता कॉमरेड अमरीश पटेल ने औद्योगिक श्रम संहिता के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मज़दूरों के महत्वपूर्ण कानूनों- स्थाई आदेश अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में मज़दूर पक्षीय जो भी प्रावधान थे, इसने उसे खत्म कर दिया है। इससे सबसे बड़ा प्रभाव मज़दूरों की स्थाई नौकरी पर पड़ेगा। इसमें कर्मकार की परिभाषा बदल दी गई है। मालिकों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। फिक्स्ड टर्म इंप्लॉयमेंट के नाम पर मालिकों को मनमर्जी रखने और निकालने की खुली छूट दी गई है। छँटनी, बंदी, लेऑफ को मालिकों के लिए आसान कर दिया गया है। मजदूरों को औद्योगिक विवाद उठाने पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं।

बताया कि किस तरह से श्रम विभाग को कमजोर बनाया गया है, श्रमन्यायालय को खत्म करके एक ऐसे औद्योगिक न्यायाधिकरण को बनाने का प्रावधान किया गया है जो प्रशासन के अधीन होगा। सामूहिक विवाद उठाने पर तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं और एक व्यक्ति को भी समझौता करने की छूट दी गई है।

हड़ताल करने, ट्रेड यूनियन बनाने पर कई तरीके के रोक लगे हैं। किसी एक दिन 50 फीसदी से ज्यादा श्रमिकों की अनुपस्थिति को भी हड़ताल बताया गया है। मालिकों पर आपराधिक मामले खत्म किये गए हैं, लेकिन मज़दूरों और मज़दूर नेताओं पर अपराधिक मामले चलाने के कई तरीके इसमें डाले गए हैं। इसमें वेतन निर्धारण का तरीका तक बदल दिया गया है।

मज़दूरी श्रम संहिता

मज़दूरी श्रम संहिता पर कॉमरेड अरविंद ने विस्तृत बातें रखीं। उन्होंने वेतन निर्धारण के वैज्ञानिक आधार और पूर्व में बनी हुई कमेटियों का उल्लेख करते हुए कहा कि किस प्रकार से नए क़ानून में मज़दूरी निर्धारण में मालिकों को ज्यादा छूट दी गई है। न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए वेज बोर्ड का सुझाव गोलमाल तरीके से आया है। इसके विवाद मज़दूर किस फोरम पर उठाएंगे यह भी स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने बताया कि किसी एक दिन मज़दूरों की अनुपस्थिति पर 8 दिन तक की वेतन कटौती हो सकती है। इसमें राष्ट्रीय फ्लोर वेज का कोई मानदंड नहीं रखा गया है। "समान काम समान वेतन" का आधार भी समाप्त कर दिया गया है। यह मज़दूरों के साथ धोखा है।

सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता

मोदी सरकार और मीडिया सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलने का शोर मचा रही है। कॉमरेड अमिताभ भटाचार्य ने बताया कि कैसे भ्रम बनाया जा रहा है। इस कोड में मज़दूरों के पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मेटरनिटी आदि सुरक्षा के मानदंडों को ही बदल दिया गया है।

बताया कि अब 50 फीसदी से अधिक मज़दूरों की सहमति बनाकर मालिक पीएफ जैसी बुनियादी सुविधा से भी मुक्त हो सकता है। 10 मज़दूरों से कम संख्या वाली जगहों पर सामाजिक सुरक्षा का कोई मानदंड नहीं रखा जाएगा। ग्रामीण मजदूरों, घरेलू कामगारों, गिग वर्कर, प्लेटफार्म वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी जैसी स्कीम वर्कर की सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर मोदी सरकार जो बड़े-बड़े दावे कर रही है, दरअसल इससे पुराने 9 कानूनों को खत्म करके केवल ढोल पीटने जैसा ही है।

व्यवसायगत सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता

इस संहिता पर बातचीत रखते हुए कॉमरेड अमिताभ ने बताया कि सुरक्षा के पुराने मानदंडों को इसमें बदल दिया गया है। अब औद्योगिक क्षेत्र में 500 से कम मज़दूरों पर सुरक्षा कमेटी बनाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसीतरह 250 से कम कंस्ट्रक्शन वर्कर और 100 से कम संख्या वाले कोल माइंस में कोई सेफ्टी कमिटी ना बनाने के प्रावधान हैं।

वेलफेयर का सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। काम के घंटे साप्ताहिक 48 रखते हुए भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि मालिक मनमर्जी काम करा सके। महिला मज़दूरों के मामले में रात्रि पाली काम उसकी सहमति से करा सकता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कोई गारंटी नहीं है।

कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मालिक को खुली राहत देकर जेल व मुआवजा कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। अप्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा के बारे में जो प्रावधान हैं, असल में वह लागू होना कठिन होगा। ठेका मज़दूरों के मामले में नियोक्ता को पूरी तरीके से अलग करके पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार पर डाल दी गई है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा, अवकाश जैसे तमाम विवादों पर मज़दूर की सुनवाई के ज्यादातर प्रावधान हटा दिए गए हैं और सीधे हाई कोर्ट में ही वह चुनौती दे सकता है, जो कि किसी एक मजदूर के लिए असंभव प्राय है। चारों श्रम संहिताओं पर मज़दूरों के बीच में व्यापक चर्चा हुई और मज़दूरों के सवालों का निवारण भी वक्ताओं ने किया।

(अगले पेज पर जारी)

बंगलुरु में मज़दूरों की जोरदार रैली
लेबर कोड रद्द करो, निजीकरण बंद करो!

बंगलुरु। मासा के बैनर तले देश के कोने-कोने से बंगलुरु पहुँचे हजारों मज़दूरों ने प्रदर्शन कर अपने हक़ की आवाज बुलंद की। 19 दिसंबर को बेंगलुरु के सिटी रेलवे स्टेशन स्थित मंडल भवन से मज़दूरों का यह कारवां शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए मैजिस्टिक पार्क पहुंचा, जहां जोरदार सभा हुई।

मज़दूरों और विभिन्न संगठनों के आए हुए नेताओं ने मज़दूर विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करने, निजीकरण और ठेकाकरण की प्रथा को समाप्त करने के साथ ही न्यूनतम मज़दूरी रुपये 25000 करने और असंगठित, अप्रवासी, खेतिहर व मनरेगा मज़दूरों की मांगों को उठाया।

रैली के बाद कन्वेंशन में वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को विभाजनकारी और साम्प्रदायिक खून-खराबे में धकेलकर मज़दूरों पर हमले लगातार तेज किए हैं। मालिकों के हित में चार श्रम श्रम संहिताएँ ला रही है। जनता के खून पसीने से खड़ा किए गए तमाम सरकारी व सार्वजनिक उद्योगों-उपक्रमों को बंद करने, बेचने का काम तेज कर दिया है। महँगाई व बेरोजगारी बेलगाम हो चुकी है।

इस दौरान प्रवासी मजदूरों, सफाई कर्मियों, लोडिंग अनलोडिंग, बीएमसी आदि मज़दूरों के साथ खेतिहर व मनरेगा मज़दूरों की भी मांग बुलंद हुई। वक्ताओं ने किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष को याद किया जिसने तानाशाह मोदी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। साथ ही इससे सबक लेकर देश की अन्य मेहनतकश जनता को अपने संघर्षों को तेज करने का आह्वान किया।

इस दौरान नई श्रम संहिताओं पर मासा द्वारा हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तिका जारी हुई। श्रम आयुक्त ने सभा स्थल पर आकर मासा द्वारा तैयार किए गए मांग पत्र को लिया।

प्रदर्शन में कर्नाटका श्रमिक शक्ति, टीयूसीआई, आईएफटीयू, इंक़लाबी मज़दूर केंद्र, मज़दूर सहयोग केंद्र, एसडब्ल्यूसीसी प. बंगाल, आईएफटीयू (सर्वहारा), ग्रामीण मज़दूर यूनियन बिहार, जन संघर्ष मंच हरियाणा, सोशलिस्ट वर्कर सेंटर, मज़दूर सहायता समिति, कारखाना मज़दूर यूनियन पंजाब आदि संगठनों के नेतृत्व में हजारों मज़दूरों ने भागीदारी निभाई।

मज़दूर कार्यशाला : मज़दूरों पर हमले नहीं सहेंगे, जुझारू संघर्ष तेज करेंगे!

(पिछले पेज से आगे)

देश बेचो अभियान यानी निजीकरण-कॉरपोरेटीकरण

कार्यशाला के दूसरे दिन निजीकरण और कॉरपोरेटीकरण पर कॉमरेड एस वेंकटेश्वर राव ने बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार का देश बेचो अभियान चल रहा है। उन्होंने वे परिस्थितियों बताईं जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और आज जिस तरीके से बैंक, बीमा से लेकर रेलवे, एयरपोर्ट, खदानें यहाँ तक कि आयुध कारखानों को बेचा जा रहा है। सरकारी संपत्तियों, सार्वजनिक उद्यमों को मोदी सरकार पूँजीपतियों को सौप रही है। यह 1991 में राव मनमोहन की सरकार के दौर में ही शुरू हुआ था जिसे मोदी सरकार ने बेलगाम बना दिया है।

कृषि क़ानूनों की वापसी और खेतिहर मज़दूरों के हालात

कृषि कानूनों की वापसी और किसानों के जुझारू लंबे संघर्ष से मिली जीत पर कॉमरेड श्यामवीर ने कहा कि किसान आंदोलन ने सत्ताधारी भाजपा-संघ को आईना दिखाया है। लोग नहीं थके, लगातार आंदोलन आगे बढ़ता रहा। तमाम कुत्सा प्रचारों का, गोदी मीडिया का मुंहतोड़ जवाब दिया और जीत का जश्न मनाया। यह लड़ाई कृषि के कॉरपोरेटीकरण के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब इसको लागू करने के लिए नए रास्ते अपनाएगी।

कॉमरेड संतोष ने बताया कि पंजाब में 9 खेतिहर व ग्रामीण मज़दूर यूनियनों द्वारा अपना मोर्चा बनाया गया है और किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद अपनी जायज माँगों के साथ वे संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। पटियाला में सम्मेलन किया और उसे वह एक बड़े आंदोलन की दिशा में मुख्यत: पंजाब में आंदोलन जारी रखा हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा मज़दूरों के मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा की।

मज़दूरों के बीच हुई खुली चर्चा

कार्यशाला का अंतिम सत्र खुला सत्र था, जिसमें अलग-अलग क्षेत्र से आए हुए मज़दूरों ने अपने अनुभव को साझा किया। जिसमें मारुति मज़दूरों के संघर्ष से लेकर, बंगलुरु में 2016 में पीएफ के खिलाफ हुए जुझारू आंदोलन, आईटी से लेकर भगवती-माइक्रोमैक्स, डाइकिन, लिंगराज-पारले आदि के हालात और संघर्षों पर चर्चा हुई। इसी के साथ कोयला खदान मज़दूरों, चाय बागान मज़दूरों ने अपनी बात रखीं। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के विशेष रूप से घरेलू कामगार, निर्माण कार्य मज़दूर, मनरेगा मज़दूर, खेतिहर मज़दूरों, महिला कामगारों, रेहड़ी-पटरी कामगारों, बीड़ी मज़दूरों, ठेका मज़दूरों, प्रवासी मज़दूरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर व्यापक चर्चा हुई और कई सुझाव भी आए।

कार्यशाला के दौरान यह स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आया कि जहां एक तरफ केंद्र से लेकर राज्य सरकारें मज़दूरों के अधिकारों पर लगातार हमला कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय ट्रेड यूनियनें विरोध के नाम पर महज कुछ रस्म अदायगी, कुछ सालाना हड़तालों तक अपने आप को सीमित की हुई है। ऐसे में एक जुझारू, निरंतरता में आगे बढ़ने वाले और निर्णायक संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ना होगा। मासा इसी दिशा में सक्रिय है और देशभर की संग्रामी ट्रेड यूनियनों व मज़दूर संगठनों को एकजुट करने के लिए प्रयासरत है।

कार्यशाला में 16 राज्यों से आए हुए मज़दूरों ने प्रतिभाग किया।

बजट 2022: अमीरों के लिए अमृत महोत्सव, गरीबों के लिए फिर से कलयुग

सम्पादकीय डेस्क

1 फरवरी 2022, को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश का बजट 2021-22 संसद में पेश किया। इस बीच देश का मीडिया जगत शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर बात करता रहा। बड़े-बड़े विशेषज्ञों को बैठा कर लगातर बहस की जा रही थी।

इन सबके बीच लॉकडाउन और भूखमरी की मार झेल रहा देश का मेहनतकश-मज़दूर इस आशा में था कि शायद कुछ अच्छा मिले। अर्थशात्रियों के मुताबिक युवाओं में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है।

बजट किसके हित में?

क्या बजट 2022 इस स्थिति को बदल सकती है? आइए देखें-

भारत में बीते वर्षो से सबसे सुस्त आर्थिक वृद्धिदर चल रही है। यह गिरावट 2016-17 में तेज हुई और 2019-20 में जीडीपी का 4 फिसदी रही। इसका मुख्य कारण रहा है कि पिछले पांच सालों में भारत के निचले 1/5 जनता की आय में 53 फीसदी की गिरावट आई है। इसी दौरान भारत के 1/5 सबसे अमीर व्यक्यिों के आय में 39 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। यानि कोरोना महामारी के दौर में भी गरीब और गरीब होते गए तो अमीर और अमीर।

देश की आम और मेहनतकश जनता की क्रय (खरीद पाने की) शक्ति कम होती गई, जिससे छोटे और मध्यम आकार के उद्योग बंद होते गए। क्योंकि मेहनतकश आबादी के क्रय शक्ति में कमी के कारण इन उद्योगों ने स्थानीय बाजार को खो दिया। इसमें आरएसएस-बीजेपी संचालित सरकार द्वारा लाई गई जीएसटी कानून ने सक्रिय भूमिका निभाई।

वहीं कोविड-19 जैसी महामारी ने भी इसको बद से बत्तर बनाया। महामारी के दौरान ना केवल लोगों ने रोजगार और आय से हाथ धो लिया बल्कि 20 से 24 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 37 फीसदी हो गई; जो दुनिया में सबसे उच्चतम स्तर पर है और साथ ही भारत में पिछले 45 वर्षो में सबसे अधिक है।

सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने से रोजगार और मेहनतकश मज़दूर की आय का स्रोत बनती जिससे फिर से बाजार में मांग पैदा होती। लेकिन बजट में इन क्षेत्रों को कमज़ोर करके पूँजीपतियों को अलग-अलग तरह से फायदा पहुँचाया गया है। इसके फलस्वरूप कोविड-19 के लॉकडाउन के समय भी पूँजीपतियों की संपत्ति में 35 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

यह संपत्ति इतनी है कि इससे 10 वर्षो के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम (मनरेगा) में फंड दिया जा सकता था या 14 करोड़ गरीबों में से प्रत्येक को तकरीबन 1 लाख मुफ्त में दिया जा सकता था! यह बाज़ार की माया नहीं बल्कि सोची-समझी नीतियों का फल है।

बजट में क्या है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्धारा संसद में जो बजट पेश किया गया उसमें भी देश के पूँजीपति वर्ग को एकतरफा फायदा पहुंचाने की प्रक्रिया को जारी रखा गया है। इसे ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार पूँजीपतियों को छूट देगी और फिर वहां से विकास की राह निकलेगी। ऊपर के आंकड़े देखें तो यह हास्यास्पद बात लगती है।

बजट में "प्रधान मंत्री गति शक्ति" योजना द्वारा निर्माण और इससे जुड़े उद्योगों को फायदा पहुंचाने की बात की गई है। कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी की गयी है, 'स्टार्ट-अप' के नाम पर आसान लोन साथ ही 4 वर्षो तक टैक्स से छूट जैसी सहूलियत दी जा रही है। दूसरी तरफ़ सार्वजनिक साधनों को कमज़ोर किया जा रहा है।

बजट में शिक्षा जैसे क्षेत्र में सीधे किसी प्रकार का निवेश ना करके ई-विद्या स्कीम लाई गई है जिससे 'ऑनलाइन शिक्षा' के नाम पर सरकारी स्कूल-कालेजों का निजीकरण होगा। मनरेगा जैसे मेहनतकश आबादी के आय के लिए चलाई जा रही स्कीम में निवेश को कम किया गया है (पिछले वर्ष के 98,000 करोड़ की तुलना में इस बार 73,000 करोड) दिया गया। यह तथ्य सरकार के गरीब विरोधी नीति और कॉरपोरेट प्रेम को उजागर करता है।

किसका 'अमृत महोत्सव'?

देश में 'आज़ादी का उत्सव' मनाया जा रहा है। बजट में 2022 से 2047 के काल को वित्तमंत्री ने अमृतकाल का दर्जा दे अगले 25 वर्ष में कुछ 'नया' होने के सुहावने ढोल पीटने शुरू कर दिये हैं। जुमलेबाजी में माहिर सरकार ने जनता को अब नया जुमला थमा दिया है।

बजट को परखने से स्पष्ट है कि यह पूँजीपतियों के लिए 'अमृत महोत्सव' हो सकती है लेकिन गरीबों के लिए कलयुग है। बजट की दीर्घकालिक योजनाएं यही बता रही हैं।

आज के शासकों द्वारा अपने ही बनाए गए पूँजीवादी व्यवस्था को संकट से बचाना संभव नही हो रहा है। अगर देश को बिकने के ख़िलाफ कोई आज लड़ सकता है तो वो केवल हम मजलूमों के संघर्ष ही है जो एक विकल्प की कल्पना कर सकती है।

मेहनतकश साथियों से

मज़दूरों के हालात, बढ़ते संकट और संघर्षों को जानने, एक-दूसरे के दुख-तक़लीफ का साझीदार बनने, अपने संघर्षों को नई ऊर्जा देने के लिए आइए **सोशल मीडिया पर 'मेहनतकश' से जुड़ें!**

- 'मेहनतकश' वेबसाइट के लिए- www.mehnatkash.in
- 'मेहनतकश' चैनल के लिए- www.youtube.com
- 'संघर्षरत मेहनतकश' फेसबुक पेज पर पहुँचें!

क्यों जन विरोधी पूँजीपतियों के हित में है यह बजट?

➲ कॉर्पोरेट टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने की घोषणा हुई है। जबकि देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्यमवर्ग को इनकम टैक्स की स्लैब में कोई राहत नहीं। कोरोना से तबाह मज़दूर आबादी के लिए तो कुछ भी नहीं है।

➲ पर्यावरण मंजूरी के लिए अब सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा। मतलब देश-दुनिया की मुनाफाखोर कंपनियों के लिये पर्यावरण को तबाह करके उद्योग-खनन की खुली छूट।

➲ बजट में देश की पहली डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की गयी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यह सबसे अहम और सबसे घातक हथियार है। इससे नगदी यानी कागजी मुद्रा को डिजिटल मनी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो हर एक वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने की अनुमति देगा। इसकी शुरुआत नोटबन्दी से हुई, जिसका उद्देश्य काला धन रोकना नही बल्कि मुद्रा का डिजिटलीकरण करना था।

➲ बजट में बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देकर फजौवाड़े को क़ानूनी जामा पहनाया गया है।

➲ "वन क्लास वन टीवी चौनल" प्रोग्राम को 12 से बढ़ा कर 200 चैनल्स तक विस्तारित किया जाएगा। देश में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इस प्रकार लगातार तबाह हो रही शिक्षा व्यवस्था को आम बच्चों के लिये तबाह करके कॉरपोरेटपरस्त बनाने की दिशा में एक और क़दम बढ़ा है। दूसरी ओर हेडफोन और इयरफोन महंगा करके मुनाफे की लूट और बढेगा।

➲ अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार होंगी। यानी महँगे किराये वाली ट्रेनें और बढेंगी। साथ ही रेलवे निजीकरण की दिशा में एक और क़दम।

➲ बजट में खाद्यान्न सब्सिडी में भी कटौती करके 2.1 लाख करोड़ से घटा कर 1.46 लाख करोड़ तो खाद सब्सिडी पिछले बजट की अपेक्षा 1.4 लाख करोड़ से कम करके 1. 05 लाख करोड़ कर दिया गया।

➲ मिड डे मील योजना के लिए इस वर्ष उतना ही बजट आवंटन हुआ है जितना कि पिछले वर्ष संशोधित बजट में खर्च हुआ था, जो पिछले वर्ष आवंटित बजट से कम था। बीते वर्ष 11,500 करोड़ रुपयों का प्रावधान था, लेकिन खर्च 10,234 करोड़ रुपये हुए।

➲ नौकरी के नाम पर एक और छलावा- "मेक इन इंडिया" के तहत 60 लाख नौकरियों का दावा है। लेकिन 2014 से अबतक मेक इन इंडिया से कितनी नौकरियां सृजित हुई?

➲ कोरोना में ध्वस्त स्वास्थ व्यवस्था उजागर होने के बावजूद बजट में स्वास्थ्य सेवा का जिक्र बहुत कम है। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, महामारियों के लिए उच्च स्तरीय अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने आदि को नज़रंदाज़ किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में महज 2,853 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। जबकि 'राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' का शिगूफा जरूर उछला है।

➲ 'किसान ड्रोन' से लेकर केन-बेतवा लिंक परियोजना तक केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में कृषि के 'तकनीकी-सक्षम मॉडल' को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, यानी कृषि क्षेत्र कॉरपोरेट के लिये और खुलेगा।

रोजगार लापता; मनरेगा राशि में भी धोखा

वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख रोजगार और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियों की बात की लेकिन मिलेगा कहाँ से?

नए रोजगार की बात तो दूर की कौड़ी है। सरकारी क्षेत्र में भर्ती की कोई बात नहीं हुई। कोरोना दौरान बड़े पैमाने पर मज़दूर बेरोजगार हुए हैं। उनके लिये कोई घोषणा नहीं हुई।

उन्होंने रोजगार के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों की जरूरत के अनुसार नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन प्रोग्राम बताया।

साफ़ है कि कौशल विकास के बहाने उद्योगों में 'फ़ोकट के नए मज़दूर' भर्ती करने के लिये मालिकों को और अवसर मुहया कराये जाएँगे, जैसा कि पिछले 6 सालों से हो रहा है।

वैसे भी फिक्स्ड टर्म के साथ स्थाई नौकरी ख़त्म हो रही है। जल्द लागू होने वाली श्रम संहिताओं का मूल मंत्र है- 'हायर एंड फायर' यानी जब चाहो रखो, जब चाहो निकाल बहार करो। तो बजट भी उसी के अनुरूप है।

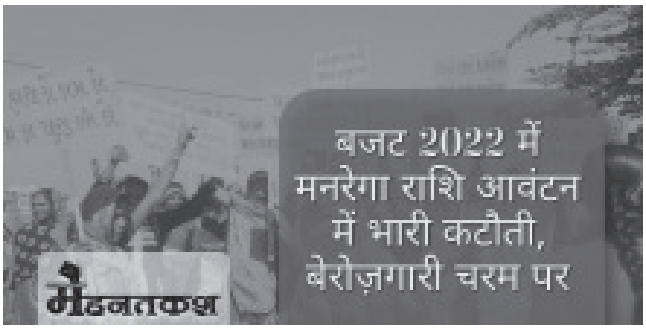

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार योजना (मनरेगा) जैसी सरकारी योजना जिससे कामगारों को कुछ काम और मज़दूरी मिलती थी (कम ही सही, लेकिन कुछ तो मिलती थी) इस बजट में उसकी राशी में भारी कटौती कर दी गई है।

पिछले साल 2020-21 के बजट में मनरेगा में कुल आवंटित राशि 1,11,500 करोड़ से वर्तमान बजट में 34.52 फीसदी कटौती करते हुए मात्र 73,000 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही काम के दिनों में भी कटौती की गई है।

जबकि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा मनमाने लॉकडाउन से शहरों से काम छोड़कर बहुत बड़ी संख्या में मेहनतकश अपने गांवों की ओर पलायन किया है। जिससे बेरोजगारी चरम पर है और लोगों को अपना पेट और घर चलाने के लिए काम की सख्त जरूरत है। उस समय मनरेगा जैसी योजना में फंड को इतनी बड़ी मात्र में कम करना यह साफ जाहिर करता है कि मेहनतकश-मज़दूरों को मनरेगा से भी जो काम की गारंटी मिलती थी सरकार उसे भी मज़दूरों से छीन रही है और मगरमच्छ की तरह मुंह बाये कॉरपोरेट के आगे फेंक देने के लिए तैयार है।

दूसरी तरफ बजट में खाद्यान्न सब्सिडी में भी कटौती करते हुए 1.46 लाख करोड़ की गई है। वहीं खाद सब्सिडी 1.4 लाख करोड़ से घटाते हुए 1.05 लाख करोड़ कर दिया गया है।

लेकिन देश की कुछ मीडिया चैनल सरकार की दलाली की हदें पार करते हुए हुए शेयर बाजार और क्रिप्टो के नियमन, उछाल और गिरावट पर बहस कर रही हैं। देश को बनाने वाले मज़दूर किसान उनके बहस से बाहर हैं।

बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं प्रवासी मज़दूर

शौर्य

23 मार्च, 2020 को घोषित हुई कोविड-19 लॉकडाउन के बाद देश के महानगरों के बाहर प्रवासी मज़दूरों की लंबी कतारें दिखाई दी थीं। शहर से अपने गांव लौट रहे कई मज़दूर रास्ते में दुर्घटनाओं में मारे गए। 2 साल होने जा रहे हैं और वे कतारें चीखकर पूछ रही हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

लॉकडाउन के दौरान जहाँ प्रवासी मज़दूरों को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती की तरह देखा गया, वहीं उनको निजी संस्थानों की उदारता के सहारे किसी तरह जान बचाना पड़ा। सवाल गहरा है कि क्या हमारे देश में करोड़ों प्रवासी मज़दूरों के मूलभूत अधिकारों को बचाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाए गए है?

प्रवासी मजदूर - केवल दान के पात्र?

जब उद्योगपतियों और मकान-मालिकों को किराए एवं वेतन में बेलगाम लूट करने दिया गया, उसी वक्त क्वॉरेंटाइन के नाम पर लाखों प्रवासी मज़दूरों को रास्ते में ही पुलिस ने बर्बरता के साथ रोक लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर अपने "मज़दूर भाइयों" की दुर्दशा पर आंसू बहाए और गरीब कल्याण योजना का वादा किया। लॉकडाउन के बीच जब "गरीब कल्याण" के नाम पर 1.7 लाख करोड़ रुपये दान को लेकर मीडिया ढिंढोरा पीट रही थी, मेहनतकश आबादी के संघर्षों से हासिल 44 श्रम कानूनों को एक झटके में मुनाफे के भगवान के सामने बलि चढ़ाया गया।

इसी दौर में प्रवासी मज़दूरों के अधिकारों के लिए कई ऐसे छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन हुए, जिसको कॉरपोरेट मीडिया में कोई जगह नहीं मिली। प्रवासी मज़दूर सहयोग केंद्र के आंकड़ों के हिसाब से ऐसी लगभग 198 घटनाएं पहले लॉकडाउन में सामने आई थीं।

पहले लॉकडाउन में बदनामी झेलने के बाद, सरकार ने न्यायालय के आदेश पर इ-श्रम पोर्टल बनाया। यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के बारे में जानकारी एक डेटाबेस में एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। लेकिन यह भारत के इतिहास में पहली ऐसी पंजीकरण प्रक्रिया है जिसके क्या फायदे होंगे, इसको लेकर कोई बात नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत मज़दूरों को 500 रुपये दिए जाने की बात हो रही है। चुनावी वादों के बाहर, प्रवासी मज़दूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कोई भी केंद्र या राज्य सरकार करने से हिचकती है। इसका कारण यह है कि बड़े-बड़े महानगरों को बनाने और चलाने के लिए प्रवासी मज़दूरों को दूसरे दर्जे की नागरिकता में बंधुआ बनाये रखना आज आर्थिक ढाँचे के लिए एक बाध्यता बन रहा है।

90 के दशक के बाद प्रवासी मज़दूर

1980 दशक के मध्य से शुरू हुए नव उदारवादी सुधारों के बाद 1991-2001 में आव्रजन में 35.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अगले दशक में यह बढ़ कर 44.2 प्रतिशत हो गया। इसी बीच देश की नीति विदेशी निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित रही। श्रम कानूनों रहित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित हुए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली नीति के परिणामस्वरूप अस्सी के दशक के मध्य में विनिर्माण क्षेत्र का जो सीमित विकास हुआ, वह निर्यात वाले कपड़ा और गार्मेंट क्षेत्रों में हुआ। इन क्षेत्रों में रोजगार का अस्तित्व बांग्लादेश, इंडोनिशिया या थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से मज़दूरी को कम रख कर हो सकता है। नतीजतन इन क्षेत्रों में बहुत अधिक उत्पीड़न होता है।

इनसे जो लोग अपने कार्यक्षेत्रों से बाहर कर दिए गए वे मुख्य शहरीकरण परियोजनाओं में समेट लिये गये। निर्माण क्षेत्र अल्पकालिक आव्रजन से भर गया जिससे वह रिटेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी श्रमिकों को समेटने वाला बन गया। घरों में काम करने के लिए भी अंतर्राज्यीय पलायन मुख्य रूप से हुआ। इस काम में मुख्य तौर पर औरतें शामिल होती हैं। पलायन पर जोर ने पारंपरिक जातिगत और भाषाई नेटवर्क, जिसका श्रम सप्लाई चेन से संबंध है, को मजबूत किया है।

इन तीन दशकों में हुए आव्रजन की कहानी बताती है कि आर्थिक विकास के इस मार्ग पर बने रहने की शर्त श्रमिकों के जीवन और कार्य की परिस्थिति का बेहद निम्न स्तर पर बने रहना है। इन श्रमिकों को नागरिकों और कार्यस्थल के अधिकारों से वंचित कर उन्हें अपने मालिकों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया गया, जो स्थानीय मज़दूरों के साथ करना संभव नहीं होता। संगठित क्षेत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जैसे विनिर्माण केंद्रों की कंपनियां प्रवासी मज़दूरों को काम पर रखना ज्यादा पसंद करती हैं। संभवत: मज़दूरों के संभावित विरोध को कुंद करने के लिए।

1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में इस बात पर जोर दिया कि प्रवासी श्रमिक "पूरी तरह से एक अजीब वातावरण में रहते हैं, जहां गरीबी, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण वे पूरी तरह से असंगठित, असहाय होते हैं और शोषण के आसान शिकार बन रहे हैं।"

2022 में क्या बदलना चाहिए?

विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना प्रणाली के प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 65 लाख अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक हैं। ये अपने मूल राज्य के बाहर रहने के कारण छुट्टी पर जाने या मतदान करने के लिए घर जाने में असमर्थ हैं इसलिए इनकी चिंताओं को उनकी संख्या की ताक़त के अनुसार राजनीतिक महत्व नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए सैनिक, सरकारी कर्मचारी, जो विदेश में तैनात हैं और यहां तक कि भारत मे ना रहने वाले भारतीय भी डाक से मतदान करने के लिए पात्र हैं लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान प्रवासियों के लिए नहीं रखा गया है।

प्रवासियों को बुनियादी जरूरतें और समाज कल्याण के कवरेज के भीतर लाने के लिए तथा नागरिकों और श्रमिकों के रूप में उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें प्रवासी मज़दूर मानना जरूरी है। प्रवासियों की पहचान दस्तावेजों के साथ डिजिटल प्रोफाइल तैयार करना इस दिशा में किया जाने वाला पहला कदम होगा। ऐसा करते हुए यह भी जरूरी है कि ऐसे डेटाबेस का मज़दूरों पर निगरानी रखने या उनके आने-जाने को नियंत्रित करने के लिए ना हो।

(अगले पेज पर जारी)

ऑटो उद्योग के अस्थायी मज़दूर रोज़गार के नाम पर जवानी की लूट

खुशीराम

रोज़गार की उम्मीद में भारत के नौजवानों की नज़र खींचने वाले सभी क्षेत्रों में से ऑटोमोबाइल उद्योग प्रमुख पंक्तियों में आता है। भारत ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में 7 वें स्थान पर है। इस क्षेत्र में न केवल निर्यात के लिए गाड़ियाँ तैयार होती हैं बल्कि बड़ी मात्रा में विदेशी पूँजी भी निवेश हुई है। लेकिन अरबों में मुनाफ़ा कमाने वाले इस उद्योग में मज़दूरों का शोषण भी उतना ही तीव्र है। आज इस शोषण का सबसे बड़ा जरिया अस्थायी नौकरियां हैं जो मज़दूरों से पूरा काम ले कर भी उन्हें कोई भी अधिकार पाने में असमर्थ रखती है।

मज़दूरों के संगठित संघर्ष को तोड़ने के लिए आज प्रबंधन ने उनको विभिन्न श्रेणियों में बाँट दिया है। स्थायी और अस्थयी विभाजन के बाद, अस्थाई मज़दूरों में भी कई विभाजन बना दिए हैं। इनमें से कुछ श्रमिक ठेकेदार के तहत काम करते हैं, कुछ कंपनी कैजुअल हैं, कुछ ट्रेनी हैं, कुछ अपरेंटिस तो कुछ एफटीई यानी निश्चित अवधी पर रखे गए मज़दूर हैं। एक ही क्षेत्र में विभिन्न कंपनियां अलग-अलग श्रेणी में मज़दूरों की भर्ती करती हैं। इस तरह मौजूदा ठेका मज़दूर (संचालन एवं उन्मूलन) कानून 1970 के प्रावधानों से वह मज़दूरों के बड़े हिस्से को बाहर कर लेती हैं, जिससे कंपनी पर मज़दूरों के रोज़गार की सुरक्षा की कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती है।

मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से रोज़गार निर्माण में अभूतपूर्व घोटाला कर रोज़गार की सुरक्षा को ख़त्म करने में पूरा योगदान दिया है। कौशल विकास के तहत अब कंपनियों में स्टूडेंट ट्रेनी की श्रेणी में आने वाले मज़दूर भी हैं। कमाने और नौकरी ढूँढने के दबाव में रहने वाले गरीब मज़दूर किसान परिवारों के लड़के-लड़कियों को 10वीं व 12वीं कक्षा के बाद कौशल विकास के नाम पर कंपनियों में भर्ती करके उन्हें सीधा उत्पादन प्रक्रिया में डाल दिया जाता है जहाँ वह अपने पूरे कर्यकाल में एक ही काम में लगे रहते हैं और उत्पादन प्रक्रिया की भी पूरी जानकारी नहीं पाते। कौशल विकास के नाम पर उनकी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी के बाद क्लास लगती है जहाँ भी कुछ खास नहीं सिखाया जाता। पूरा पूरा काम देने के बावजूद उन्हें न तो न्यूनतम मज़दूरी मिलती है न ही ईएसआई पीएफ जैसी सुविधाएं। उल्टा कंपनी को सरकार द्वारा प्रति मज़दूर 70 फीसदी न्यूनतम मज़दूरी का खर्च मिलता है। तीन साल एक ही कंपनी में उत्पादन देने के बाद उसे मात्र एक सर्टिफिकेट दे कर बाहर कर दिया जाता है। कुछ कंपनियों में परीक्षा, इंटरव्यू आदि के बाद इनमें से एक बहुत छोटी संख्या को ट्रेनी रखा जाता है। संख्या का अंदाजा पाने के लिए मारुती मानेसर का उदाहरण देख सकते हैं जहाँ 6000 में से मात्र 27 स्टूडेंट ट्रेनी को ट्रेनी रूप के में लिया जाता है।

इस पूरी प्रक्रिया में मज़दूरों को मिलने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर उसे और कहीं रोज़गार नहीं मिल सकता। इनमें से कई वर्कर अन्य कुछ साल अपरेंटिस, या कम्पनी कैजुअल या ठेकेदार के तहत कम्पनी में काम करने के बाद वापस अपने गाँव लौट कर वहीं कुछ छोटा मोटा काम ढूँढने की कोशिश करते हैं। अत: 17-18 से 24-25 की उम्र तक कंपनी में बेलगाम खून पसीना बहाने के बाद अपनी जिम्मेदारियां सँभालते मज़दूर युवा या युवती के पास न कौशल होता है, न कुछ पैसे होते हैं न ही कोई नौकरी। इस समय तक उनका अन्य कई सरकारी नौकरियों या सेना इत्यादि में लगने का समय भी ख़त्म हो चुका होता है।

सरकार द्वारा दी गयी "नयी नौकरियों" के आकड़ों से छिपाई जा रही यह व्यापक बेरोजगारों की फ़ौज आज हमारे समाज का सबसे संकटग्रस्त हिस्सा है।

प्रवासी मज़दूरों का उत्पीड़न बंद हो, सुरक्षा के अधिकार मिले!

(पिछले पेज से आगे)

सरकार को प्रवासियों के साथ होने वाले भेदभाव और उनके उत्पीड़न की हकीकत को स्वीकार करना होगा। स्थानीय अधिकार संपन्न संस्थानों से दूरी और सांस्कृतिक अलगाव के चलते उनको विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है। ऐसे अधिकारों में शामिल हैं मनामाने ढंग से काम से निकाले जाने से सुरक्षा, स्थायी कर्मचारियों के जैसा व्यवहार, आवास या रोजगार में होने वाले भेदभाव का अंत और यूनियन बनाने का अधिकार। सांस्कृतिक अलगाव की भावना से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जहां भी प्रवासी मज़दूर रहते हैं वहां राज्य को बुनियादी शिक्षा उनकी स्थानीय भाषा में देनी चाहिए।

सरकार सभी प्रवासी परिवारों की सुरक्षा के अधिकारों के तहत सार्वजनिक यातायात, आवास, शिक्षा और पीडीएस समेत सभी सार्वजनिक निवेशों को मजबूत करे। रहने की परिस्थिति और रोजगार के उपलब्ध विकल्पों में स्थानीय और प्रवासियों के बीच की गैरबराबरी को कम करने के लिए ना सिर्फ ऐसा जरूरी है बल्कि क्षेत्रीय अहंकारवाद को हावी ना होने देने के लिए भी ऐसा करना आवश्यक है।

आव्रजन मानव विकासक्रम का हिस्सा है। हमारा संविधान देश के भीतर किसी भी हिस्से में रहने और बसने का बुनियादी अधिकार देता है। आज सचेत लोगों को इस अधिकार को अर्थ देने की मांग करनी चाहिए। और यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि राज्यों में औद्योगिकीकरण और रोजगार निर्माण के अनुपात में असामानता रहेगी जो करोड़ो भारतीयों को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। जब यह सुनिश्चित होगा तभी जाने-आने की आजादी अधिकार बन पाएगी और मजबूरी नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए सार्वजनिक हित, राज्य और जनता के बीच संबंध और संकट के बाद वित्तीय वैष्विक उत्पादन चेन के पुनर्गठन की हमारी सोच में बड़े बदलाव की जरूरत होगी। यह पिछले तीन दशकों से नवउदारवाद के आर्थिक विकास के पाठ को रैडिकल रूप से परिभाषित करने जितना बड़ा काम होगा।

2021 : किसानों के शानदार संघर्षों, ऐतिहासिक जीत और किसान-मज़दूर एकजुटता का साल रहा

जनविरोधी कृषि क़ानूनों के खिलाफ़ चले ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान साल 2021 के पहले दिन किसान नेता ने कहा था, "सरकार जबतक हमारी मांगें नहीं मान लेती, तब तक हमारे लिए कोई नया साल नहीं है।" और यही वह जज्बा था जिसने साल खत्म होने के पहले तानाशाह मोदी सरकार को झुकाने और ऐतिहासिक जीत हासिल करने में देश के किसान कामयाब रहे। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने शानदार और कुशल नेतृत्व की भूमिका निभाई।

26 जनवरी: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित किसान ट्रैक्टर परेड पर भाजपा-आरएसएस और उसके पूरे तंत्र का षडयन्त्र एक महत्वपूर्ण मुक़ाम था। इस साजिशाना घटना और दमनपूर्ण कार्रवाइयों के बाद आन्दोलन नए मोड़ पर था। सरकार की नियत, आरएसएस-भाजपा नेताओं, मंत्रियों, सत्ता पोषित मीडिया के घटिया बयानों व दुष्प्रचारों के बीच प्रतिरोध के स्वर नए तेवर लेने लगे। देश भर में लगातार किसान महापंचायतों तथा विविध और नए-नए क्रियात्मक प्रयोगों व तौर-तरीकों से आंदोलन फैलता गया और देशव्यापी बन गया।

साथ ही धर्म-क्षेत्र-जाति की फिरकापरस्त दीवारों कों ढहाकर संग्रामी एकजुटता के साथ देश का समस्त श्रमजीवी वर्ग, महिलायें, छात्र-नौजवान, और न्यायप्रिय जनता ने शानदार संग्रामी एकता की मिसाल कायम की।

किसान आंदोलन के पूरे दौर में महिलाओं की भागीदारी बेहद शानदार रही और हर मोर्चे पर उन्होंने बेजोड़ भूमिका निभाई। 8 मार्च को 'महिला किसान दिवस' से लेकर 'महिला किसान संसद' जैसे आंदोलनों से महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका भी उभरकर सामने आई।

किसान-मज़दूर एकता की बानगी

किसान आंदोलन के दौरान किसान-मज़दूर एकता भी लगातार मजबूत होती गई। देश के अलग-अलग हिस्सों से मज़दूरों और ट्रेड यूनियनों ने शानदार एकजुटता का प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के हर आह्वान पर मज़दूरों ने कंधे-से-कंधा मिलाया।

दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के केंद्रों/मोर्चों पर मज़दूर जत्थे भी पहुंचते रहे। मारुति सुजुकी मज़दूर संघ से जुड़ी यूनियनें व ट्रेड यूनियन कौंसिल गुड़गांव-रेवाड़ी ने किसानों के धरनों पर जाकर समर्थन दिया। यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में श्रमिक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले समर्थन में मज़दूरों ने बाइक रैली निकाली।

13 जनवरी: गुड़गांव मानेसर में पचास हजार मज़दूरों ने मज़दूर, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर विरोध किया। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन जगहों पर लोहडी की आग में जनविरोधी 3 कृषि क़ानूनों व 4 लेबर कोड की प्रतियाँ जलाई गईं।

13 मार्च: काले कृषि कानूनों और मज़दूर विरोधी श्रम संहिताओं के ख़िलाफ़ टिकरी मोर्चे पर मज़दूर-किसान एकजुटता का प्रदर्शन हुआ और किसान संगठनों के साथ मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) ने मंच साझा किया।

16 मार्च को देशभर में किसान-मज़दूर भागीदारी के साथ 'निजीकरण विरोधी' व 'महँगाई विरोधी' दिवस मनाया गया। 26 मार्च को सयुंक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान-मज़दूर एकजुटता के साथ पूरे देश में भारत बंद का जबरदस्त असर रहा।

1 मई: कोरोना पार्बंदियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर "मजदूर किसान एकता दिवस" के तौर पर मई दिवस मनाया गया। 26 मई को काला दिवस मना। अगस्त क्रांति दिवस (9 अगस्त) को किसान-मज़दूर एकजुटता प्रदर्शित हुई, तो 15 अगस्त को किसान-मज़दूर आजादी संग्राम दिवस मनाया गया।

26-27 अगस्त को किसान आंदोलन के नौ महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसमे लाखों किसानों के साथ ट्रेड यूनियनों और मज़दूरों, महिलाओं, छात्रों-नौजवानों ने भी भागीदारी निभाई। 27 सितंबर देशव्यापी बंद में मज़दूरों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

14 नवंबर को लघु सचिवालय गुड़गांव में बेलसोनिका इम्पालाइज यूनियन द्वारा मज़दूर-किसान पंचायत का आयोजन हुआ। जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के मज़दूर संगठनों एवं यूनियन प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी भागीदारी की।

26 नवम्बर: दिल्ली सीमाओं पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन के एक साल होने पर टिकरी, सिंघू, ग़ाज़ीपुर और शाहजहांपुर मोर्चों पर किसानों के साथ मज़दूर-मेहनतकशों ने आंदोलन को मुकम्मल जीत तक जारी रखने का संदेश दिया।

28 नवम्बर को संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा (एसएसकेएम) के बैनर तले मुंबई के आजाद मैदान में विशाल किसान-मज़दूर महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा संगठनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसान, मजदूर, खेतिहर मज़दूर, महिलाएं, युवा और छात्र-छात्रएं शामिल हुए। किसान-मज़दूर एकता को मजबूत करने के साथ मारुति के तीन प्रमुख प्लांटों की यूनियनों ने मिलकर टिकरी मोर्चे पर 51,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया।

इस प्रकार 2020 में शुरू किसान आंदोलन, जिसका केंद्र मुख्यत: 2021 रहा, किसानों के अटूट संघर्ष के साथ मज़दूर-मेहनतकश आवाम की संग्रामी एकता का भी गवाह बना।

नए साल में भी जाति-धर्म के बँटवारों के ख़िलाफ मज़दूरों-किसानों-मेहनतकशों की संग्रामी व वर्गीय एकता बरकरार रखकर फिरकापरस्त व आम जनविरोधी मोदी सरकार को शिकस्त देने का सिलसिला आगे बढ़े। कॉरपोरेटपरस्त सभी सरकारों को पटकनी देने के जज्बे के साथ पूँजी के किले पर प्रहार और विकट हो।

'मेहनतकश' वेबसाइट से
mehnatkash.in

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर ट्रेड यूनियन में महिला श्रमिकों की भागीदारी और उनके मुद्दे

सुमित

भारत में ट्रेड यूनियन का 100 साल का इतिहास होने के बावजूद 8 फीसदी मज़दूर ही संगठित है और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी हाशिए पर है। जहां तक श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का सवाल है तो पिछले दिनों विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत में महिला श्रम भागीदारी दर 2019 में गिरकर 20.3 प्रतिशत हो गई थी, जो 2005 में 26 फीसदी से अधिक थी, जबकि पड़ोसी बांग्लादेश में 30.5 फीसदी और श्रीलंका में 33.7 फीसदी थी।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही के दौरान भारत में महिला श्रम भागीदारी दर गिरकर 16.1 फीसदी हो गई। यानी महिलाओं को लगातार नौकरी गंवानी पड़ी है। इसका कारण यह था कि भारत में अधिकांश महिलाएं कम-कुशल काम करती हैं, जैसे कि खेती-बाड़ी, गारमेंट सेक्टर, भवन निर्माण, घरेलू कामगार और ये ऐसे क्षेत्र थे जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अब बात करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र में यूनियन बनाने और यूनियन चलाने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और महिला मुद्दों को लेकर यूनियन की भूमिका की।

यहां यह स्पष्ट कर दें कि संगठित क्षेत्र की स्थापित ट्रेड यूनियनें जो प्राय: पुरूष प्रधान हैं, महिला श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कराने में नाकाम रही हैं। ट्रेड यूनियन में नेतृत्वकारी भूमिका में महिला श्रमिकों की भागीदारी ना के बराबर है। ये ट्रेड यूनियन में भारत में महिलाओं के मुद्दों के अप्रभावी प्रतिनिधित्व के मुख्य कारणों में से एक है। यूनियन बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी प्राय: पुरुषों के निर्णय पर निर्भर करती है क्योंकि भारत में पितृसत्ता बहुत गहरी है। ऐसे में महिलाओं को यूनियनों में शामिल करना और फिर उन्हें स्वतंत्र जिम्मेदारी देकर भविष्य के नेताओं के रूप में विकसित करना मुश्किल हो जाता है।

महिला श्रमिकों की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति भी यूनियन में उनकी भागीदारी में अड़चन पैदा करती हैं। संगठित क्षेत्र में गारमेंट श्रमिक भारतीय मज़दूर समूह का सबसे अधिक कमजोर हिस्सा है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। कमोवेश यही स्थिति मैन्यूफैक्चरिंग और ऑटोमोबाईल क्षेत्र में है जहां सस्ते श्रम के तौर पर ज्यादतर महिलाओं को प्रोडक्शन लाईन पर असेंबली, पैकिंग और स्टोरकीपिंग का काम करना पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से ज्यादातर महिलाएं यूनियन बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है जो नियोक्ताओं के लिए फायदेमंद होता है।

भवन निर्माण कार्य, सफ़ाई कार्य, घरेलू कार्य जैसे असंगठित क्षेत्र के साथ-साथ कृषि कार्य में महिलाएं ज्यादा संख्या में काम करती हैं। भोजनमाता, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा कार्यकर्ता आदि स्कीम वर्कर कुछ हद तक संगठित रूप से सरकार के साथ सामुहिक सौदेबाजी कर पाने की स्थिति में है।

आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भोजनमाता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कार्यकर्ता मज़दूर के रूप में अपनी पहचान के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। श्रमिक की परिभाषा में नहीं आने की वजह से ये श्रमिक संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से महरूम हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की यूनियन प्रक्रिया में और सामूहिक संघर्ष में महिला श्रमिकों की नेतृत्वकारी गतिविधि मौजूद हैं और ये सिर्फ उनके खुद की पहलकदमी की वजह से है।

लैंगिक भेदभाव पर आधारित मुद्दे प्राय: ट्रेड यूनियनों के बीच चर्चा का विषय नहीं रहे हैं और ना ही उनके सामूहिक सौदेबाजी के एजेंडे में शामिल रहे हैं। प्रोडक्शन लाइन पर काम करते समय एक महिला को ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो भेदभावपूर्ण होने के साथ मानव के रूप में उनकी गरिमा के खिलाफ़ है। अधिकांश समय उनके साथ उनके सहकर्मियों का ऐसा व्यवहार होता है जो उनके मन में भय पैदा करते हैं और किसी मुद्दे पर इकट्ठे होकर आवाज उठाने की प्रक्रिया में अलगाव पैदा करते हैं।

भारत में महिलाओं को यूनियनों में शामिल करने के लिए लैंगिक भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न से मुक्त एक सक्षम कार्य वातावरण बनाने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। यह जिम्मेदारी बहुत हद तक साथी पुरुष कर्मियों की भी है।

महिलाओं को नियोक्ताओं के साथ संवाद प्रक्रियाओं और सामूहिक सौदेबाजी में और अंतत: निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने और उन्हें अधिक जिम्मेदारियां प्रदान करने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी महिला दिवस

अंतरराष्ट्रीय श्रमजीवी महिला दिवस की कहानी 112 साल पुरानी है। इसकी नायक वे लाखों महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अधिकारों को जीतने के लिए संघर्ष किया।

8 मार्च 1857 को अमेरिकी राजधानी न्यू यार्क के गारमेंट उद्योग की महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए जुलूस निकाला, जिस पर हुए दमन में कई महिला मज़दूर शहीद हुईं। तबसे एकता व संघर्ष का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। सन 1910 में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्लारा जेटकिन की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का फैसला हुआ।

आज पूँजी के बढ़ते वर्चस्व के साथ समाज में महिलाओं का शोषण नए-नए रूप ले रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति में अनेक महिलाएं कठिन से कठिन परिस्थितियों में नौकरी करने को मजबूर हैं।

अन्तराष्ट्रीय श्रमजीवी महिला दिवस के संघर्षशील विरासत को कायम रखने व हक-अधिकार हासिल करने, समानता स्थापित करने के लिये संघर्ष को नया आयाम देना होगा!।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर

घरेलू कामगारों के अधिकार

नारी के बढ़ते क़दम से साभार

धनपति और अमीर, मेहनतकश रसातल में

आपदा ऐसा अवसर बना, जिसमें देश-दुनिया के धनपतियों की सम्पत्ति छलांगें ले रही हैं, जबकि मेहनतकश आबादी लगातार रसातल में जा रही है।

ऑक्सफ़ेम की रिपोर्ट 'इनइकवल्टी किल्स' के अनुसार कोरोना वायरस प्रसार के एक वर्ष के दौरान दुनिया के दस सबसे अमीर धनपतियों की संपत्ति में दो गुने का इजाफा हुआ है। दिसम्बर 2020 में इनकी कुल संपत्ति 70,000 करोड़ डॉलर थी जो दिसंबर 2021 में एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुँच गयी। इनके पास पूरी दुनिया के 310 करोड़ डॉलर (पूरी दुनिया की लगभग आधी आबादी के बराबर) संपत्ति है।

इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के 99 प्रतिशत लोगों की आय में बेतहशा कमी आयी है। लगभग 16 हज़ार करोड़ लोगों को गंभीर गरीबी में पहुंचा दिया गया है।

सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 में 4 लोगों के परिवार की मासिक पर कैपिटा इनकम घटकर रुपए 4979 पर आ गई। यह जनवरी 2020 में रुपए 5989 थी। साल 2021 में भारत के 84 फीसदी परिवारों की आय घटी है, पर इसी समान अवधि में देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई।

2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति रिकॉर्ड 57.3 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गई। इसी साल नीचे की 50 फीसदी आबादी के हिस्से सिर्फ छह फीसदी राशि आई।

देश के सबसे अमीर 100 परिवारों की संपत्ति में वृद्धि का करीब पांचवां हिस्सा सिर्फ अडाणी घराने के पास आया है। 24 नवंबर 2021 तक अडाणी की कुल संपत्ति 82.2 अरब डॉलर थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान (आठ महीने में) अडाणी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल मिला। इसी दौरान 2021 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति दोगुनी होकर 85.5 अरब डॉलर हो गई जो 2020 में 36.8 अरब डॉलर थी।

कोरोना समय में देश में चार करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला गया। वहीं हर दिन न्यूनतम 21,000 लोगों या हर चार सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर में बेरोजगारी दर चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9 फीसदी हो गई जबकि नवंबर में यह सात फीसदी थी।

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अप्रैल-मई में लॉकडाउन के बाद 10 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। इस अवधि में 45 फ़ीसदी महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के आखिरी महीने तक भी देश में डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों को जीवन यापन के लिए काम-धंधा नहीं मिला।

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के आंकड़ों के हिसाब से कोरोना महामारी की अवधि में 23 करोड़ लोग न्यूनतम वेतन की सीमा से नीचे चले गए।

यह बीते तीन दशक से लागू नव उदारवादी नीतियों के दौर में मुनाफाखोरों की चांदी हुई है जो मोदी राज में बेलगाम हो गयी है।

93 हजार कर्ज में डूबा है देश का हर व्यक्ति

और कर्ज ले रही है मोदी सरकार

देश पर कर्ज़े का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल में जारी आकड़े बताते है कि केंद्र सरकार पर सितम्बर 2021 तक 125.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। यानी प्रति व्यक्ति कर्ज 92,348 रुपए हो गया है। वर्तमान बजट में मार्च 2022 तक केंद्र सरकार पर कर्ज़ बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपए हो जायेगा। हालांकि आर्थिक विभाग के वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि सरकार सितम्बर 2021 तक 125.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी, मार्च 2022 तक 13.3 लाख करोड़ का और लेगी जो मार्च 2023 में बढ़कर 155.3 लाख करोड़ रुपए हो जायेगा।

2014 में मोदी सरकार से पहले केंद्र सरकार पर कुल कर्ज़ा 53.1 लाख करोड़ रुपए था। यही नहीं, 2020-21 में सरकार ने 6.80 लाख करोड़ रुपए कर्ज पर ब्याज के चुकाए हैं। 2021-22 में ब्याज के 8.14 लाख करोड़ रुपए व 2022-23 में 9.41 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं।

सरकार जो कर्ज ले रही है, उससे जनता से किसी न किसी माध्यम से पैसा वसूलने की कोशिश करेगी, जैसा कि सरकार करती रही है।

योगी सरकार का कर्ज 40 फीसदी बढ़ा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पांच सालों में कुल बकाया क़र्ज़ तक़रीबन 40 फीसदी तक बढ़ गया है। जबकि सरकार चार सालों में निर्धारित पूरी बजट राशि को भी ख़र्च नहीं कर पायी। शिक्षा पर होने वाले ख़र्च में गिरावट आयी है, और स्वास्थ्य पर होने वाले ख़र्च में राजस्व व्यय के हिस्से में मामूली रूप से इज़ाफ़ा हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों में यूपी सरकार पर 6.5 लाख करोड़ रुपये की बक़ाया देनदारियां हैं। 2017 में योगी के सत्ता में आने के समय 4.7 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ था, जो इस समय बढ़कर 38.3 फीसदी ज्यादा हो गया है। इस क़र्ज़ का एक भारी भरकम हिस्सा भारी ब्याज़ दरों पर बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों का है।

कैग रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार ने मार्च 2020 में अवैध रूप से 71,000 करोड़ रुपये अपने ग़ैर-कर राजस्व मद में स्थानांतरित कर दिये। बीते चार सालों में राजस्व अधिशेष 1.32 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है! हालांकि वास्तविक राशि इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।

23 हजार करोड़ का बम्पर बैंक घोटाला

मोदी राज में ताबड़तोड़ बैंक घोटालों में हर नया घोटाला पहले से काफी बड़ा होता है। नये मामले ने बैंकिंग घोटाले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं।

गुजरात की कंपनी द्वारा 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से 28 बैंकों और एलआईसी को चूना लगा है। इसमें लिप्त एक ही ग्रुप की दो कंपनियां- एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल हैं। सूरत की ये कंपनी पानी के जहाजों के निर्माण, मरम्मत समेत उससे जुड़े दूसरे काम भी करती है।

सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड, उसके एमडी ऋषि अग्रवाल, निदेशकों संथानम मुथास्वामी, अश्विनी कुमार, सुशील अग्रवाल, रवि विमल नेवेतिया और एबीजी इंटरनेशनल के ख़िलाफ साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, दुरुपयोग के लिए भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा किया है।

वर्ष 2012-17 के बीच उन्होंने अवैध कारनामों को अंजाम दिया। यह सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है।

कुल धोखाधड़ी वाले 28 बैंकों में एसबीआई, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई,

पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआसीआई के साथ ही एलआईसी को भी चूना लगाया गया है।

एबीजी कंपनी ने अपने बनाए जहाज विदेशों में भी बेचे हैं, लेकिन कंपनी ने तमाम नियम-कानूनों को ताक पर रखकर बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया।

भाग गये सारे घोटालेबाज

देश के सबसे बड़े इस बैंकिंग लोन स्कैम के आरोपी प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही देश छोड़कर फरार हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार ऋषी अग्रवाल सिंगापुर भाग गया है। सीबीआई ने मुख्य आरोपियों के ख़िलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। लेकिन एसबीआई 2019 में ही लुक आउट नोटिस जारी करवा चुकी थी।

4 साल से सरकार ख़मोश क्यों?

यह मामला 2018 में ही रिकवरी ट्रिब्यूनल अहमदाबाद के सामने आ गया था। तब देना बैंक, आईसीआसीआई और एसबीआई की 3 विभिन्न शिकायतों पर 3 अलग-अलग फैसले आये थे।

ट्रिब्यूनल ने देना बैंक मामले में 27 दिसंबर 2018 को ब्याज सहित 35 हजार करोड़ रुपए; आईसीआसीआई मामले पर 2 अक्टूबर 2018 को क्रमशः 4503.94 करोड़ और 174.7 करोड़ रुपए दो महीने के अंदर और एसबीआई मामले में 12 अप्रैल 2018 को ऋषि अग्रवाल से 2510 करोड़ रुपए रिकवरी का आदेश दिया।

इतने स्पष्ट आदेश थे तो कार्यवाही क्यो नही की गई? 2018 से 2022 कैसे हो गया?

इस घोटाले का पहला खुलासा एसबीआई के डिप्टी जीएम की सीबीआई को लिखित शिकायत पर 25 अगस्त 2020 को हुआ था।

इसबीच ये सारे कर्ज 2017 में एनपीए घोषित हो गये। सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में मोदी सरकार 4 साल तक मुंह में दही जमाकर बैठी क्यों रही?

घोटाले दर घोटाले

➲ एमपी के निवाड़ी में राशन में 4 साल में 32 करोड़ 5 लाख 60 हजार रुपए का घोटाला।

➲ बिहार के कटनी में धान खरीदी में 8 करोड़ 31 लाख रुपए के घोटाले उजागर हुए।

➲ अंबाला में निर्माणधीन अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम में 46 करोड़ के घोटाला के बाद अब अंबाला के लघु सचिवालय में निर्माण के लिए पीडब्लूडी ने बिना काम के 5 करोड़ 26 लाख 83 हजार 400 रुपये की पेमेंट जारी कर दी।

कन्या विवाह सहायता योजना में 30.4 करोड़ रुपये का घोटाला

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना में 30.4 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस घोटाले के तहत युवतियों की फर्जी शादियां कराई गईं। यह घोटाला साल 2019 और 2021 के बीच हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, इस घोटाले की जांच के दायरे में 93 ग्राम पंचायतें और 20 बैंक हैं।

दरअसल इस योजना के तहत मज़दूरों की बेटियों को उनकी शादी पर 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस घोटाले का मुख्य आरोपी जनपद पंचायत का सीईओ शोभित त्रिपाठी मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का बहनोई है। जाँच के दायरे में आए भार्गव का बेटा और भाजयुमो का नेता अभिषेक भार्गव की ईडी द्वारा 80 करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले में जाँच भी जारी है।

मोदी राज में कुछ प्रमुख बैंक घोटाले

➲ विजय माल्या 9000 करोड़ रुपये का घोटाला करके फरार हुआ।

➲ नीरव मोदी मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक से 13500 करोड़ रुपये से ज्यादा लूटकर फरार हूए।

➲ वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर द्वारा 3250 करोड़ रुपये का घोटाला।

➲ पंजाब व महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में 4 हजार 355 करोड़ रुपये बैंक घोटाला।

➲ रोटोमैक कलम बनाने वाली कंपनी के प्रवर्तक विक्रम कोठारी ने सात बैंकों के साथ 3,695 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

साल 2021 : जनता त्रस्त, पूँजीपति मस्त, सरकारें पूँजीपतियों की सेवा में और ज्यादा व्यस्त

गहन अंधकार में उम्मीद की एक रौशनी जगमगाई

मेहनतकश वेबसाइट से

मोदी सरकार की तानाशाही, बेलगाम जनविरोधी नीतियों को थोपने, कोरोना, सरकारी निर्लज्जता, मेहनतकश जनता की असीम पीड़ा, कष्ट, हाहाकार मचाती महँगाई, विकट बेरोजगारी तथा प्रतिरोध, विशेष रूप से ऐतिहासिक किसान आंदोलन की तीव्रता, जीत और उम्मीद की एक किरण के बीच एक और साल गुजर गया।

साल की शुरुआत में मज़दूर विरोधी चार श्रम संहिताओं, जनविरोधी कृषि कानूनों, निजीकरण आदि के खिलाफ संघर्ष बढ़ रहा था, विशेष रूप से किसान आंदोलन तेजी पकड़ रहा था।

साल का अंत होते-होते देश के किसानों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं दिसंबर में मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) ने बंगलुरु में श्रम संहिताओं व निजीकरण के खिलाफ कार्यशाला, रैली व कन्वेन्शन से निरंतर, जुझारू और निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया।

मोदी राज में असल में साल 2021 बेहद अहम साल रहा। मेहनतकश पर जारी हमलों और दमन के बीच संघर्ष ने नई अंगड़ाई ली, जो नए साल के लिए जरूरी सबक है।

जनविरोधी नीतियाँ, देश बेचो अभियान

बीते साल भी मोदी सरकार आपदा को मुनाफाखोरों के अवसर में बदलने में जुटी रही और मज़दूर व आमजन विरोधी नीतियाँ थोपने को रफ्तार देती रही।

जहाँ मालिकों के हित में 44 श्रम क़ानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताओं में बदलने, देश की सरकारी-सार्वजनिक उपक्रमों-संपत्तियों को कौड़ियों के मोल पूँजीपति यारों को सौंपने में संलग्न रही। वहीं आपदा को मुनाफे के अवसर में बदलने का खेल तेजी से जारी रहा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-22 के लिए प्रस्तुत केन्द्रीय बजट गरीबों, मज़दूरों, नौकरी पेशा लोगों, मेहनतकश किसानों, माध्यम वर्ग व कोरोना पाबंदियों से बेरोजगार हुए लोगों के साथ एकबार फिर धोखा बना था। उस डिजिटल बजट से मालिकों की बल्ले-बल्ले हुई, तो मेहनतकश फिर ठन-ठन गोपाल रहा।

सिलसिला आगे बढ़ता रहा और बैंक, बीमा, बिजली, रक्षा, कोल, खनन, पेट्रोलियम, जहाज तक बेचने के क्रम को और बेलगाम करते हुए मोदी सरकार ने निजीकरण का नाम बदलकर

6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का एलान किया।

छंटनी-बंदी ने पकड़ी रफ्तार

इस साल भी सरकारी कंपनियों से लेकर निजी कंपनियों तक में कथित वीआरएस के बहाने छंटनी की तलवार तेजी से चलती रही। निजी क्षेत्र की होंडा, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, थर्मेक्स, टेक महिंद्रा, एचपी आदि कंपनियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा हुई। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने साणंद (गुजरात) और चेन्नई (तमिलनाडु) प्लांट बंद किया, तो कंप्यूटर निर्माता एचपी ने पंतनगर (उत्तराखंड) प्लांट बंद करके हजारों मज़दूरों को बेरोजगार बना दिया।

जनता बदहाल, अंबानी-अडानी मालामाल

बीते साल भी जनता त्रस्त, पूँजीपति मस्त और पीएम मोदी सहित सभी रंग की राज्य सरकारें पूँजीपतियों की हितसेवा में पहले से ज्यादा व्यस्त रहीं।

देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों सहित जीवन उपयोगी समस्त चीजों के दाम बेलगाम रहे। इसी दौरान अडानी की पूँजी में 3.07 और अंबानी की पूँजी में 3.03 अरब डालर की बम्पर बृद्धि हुई। अडानी ग्रुप एयर पोर्ट से लेकर राज मार्ग तक के ठेका हासिल करता गया और गौतम अडानी की पूँजी कुलाँचें भरती रहीं। 2021 में गौतम अडानी की संपत्ति में 41.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में 13 बिलियन डॉलर की बृद्धि हुई है। मुकेश अंबानी 89.7 अरब डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के रईसों में 12 वें पायदान पर है, जबकि गौतम अडानी 73.3 अरब डॉलर के साथ 14वें स्थान पर।

मुकेश अम्बानी ने लन्दन में 592 करोड़ रुपए में 49 बेडरूम वाले 300 एकड़ जमीन पर बना ऐशगाह खरीदा। इससे पूर्व कोविशील्ड का मालिक टीका के नाम पर सरकारी सब्सिडी व रियायतें डकारकर लंदन व्यवस्थित हो गया।

इसी बीच देश की आम जनता की आमदनी लगातार गिरती गई, ऊपर से महँगाई की बम्पर मार ने कमर पूरी तरह से तोड़ दी। पिछले एक साल से कोरोना से जंग लड़ रहे आम आदमी के लिए जीना और दूभर हो गया। भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2021 में 94वें स्थान से फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया। इसमें वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है।

महामारी से ज्यादा इलाज की दुर्व्यवस्था से मौतें

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के साथ देश के स्वास्थ्य महकमे का ढाँचा पूरी तरीके से ढह गया। कोई कोरोना से ग्रसित होकर भटकता रहा दम तोड़ता रहा, तो कोविड ग्रसित चिह्नित न होने वाले मरीजों के लिए अस्पताल के दरवाजे बंद रहे। कोरोना महामारी की दहशत से ज्यादा अस्पतालों व इलाज की दुर्व्यवस्था, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर की कमी से खौफ का जबरदस्त माहौल रहा। पूरे देश में ऑक्सीजन व वेंटिलेटर्स को लेकर त्राहि-त्राहि मची रही। एक साल पहले भी यही किल्लत थी।

इस बीच पीएम केयर फंड बना, देश में वेंटिलेटर्स बनाने की कवायद हुई, खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन हालत फिर भी बदतर रहने के बीच वेंटिलेटर्स खरीद घोटाला उजागर हुआ।

महामारी, पाबंदियों की रफ्तार के बीच उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव ने कितने शिक्षकों-कर्मचारियों की जानें लीं। कोई इलाज के अभाव में मरा तो कोई अव्यवस्था से अकाल मौत का शिकार बना। हालात ये थे कि मौत पर भी क्रिया-करम के लिए सहूलियतें गायब हो गईं। नदी में उतराती लाशें, गंगा तट पर बिखरी लाशें भयवाहता की गवाह रहीं।

पाबंदियों के बीच जनता से वसूली बढ़ी, दमन हुआ तेज

ट्रेनों पर पाबंदियाँ और मनमानियाँ, चालानों के बहाने जनता की पॉकेट से सेंधमारी बढ़ती रही। दमनकारी क़ानून और मजबूत होते रहे।

जनविरोधी नीतियों के बीच संघर्ष और जीत का हौसला

आयुध कारखानों में हड़ताल पर पाबंदी के लिए एस्मा जैसा काला क़ानून थोपा गया। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते रहे और उत्तरप्रदेश लगातार तीसरे साल भी शीर्ष पर रहा।

केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) क़ानून में संशोधन कर इसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी।

सरकारी मनमानी; घोटाले शीर्ष पर

वेंटिलेटर्स खरीद घोटाला सामने आने और पीएम केयर्स फंड की मनमानी के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर ने पीएम केयर्स फंड पर आरटीआई लागू नहीं होने पर कहा कि नागरिकों को पता ही नहीं है कि इसका पैसा कहाँ जा रहा है।

अयोध्या के महंत ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों, भाजपा विधायक, महापौर के भतीजे और सरकारी अधिकारी के ख़िलाफ सरकारी जमीन खरीद घोटाला सामने आया। इसी साल भारत सहित दुनिया भर के नेताओं और अरबपतियों की संपत्तियों और गुप्त सौदे का पर्दाफ़ाश हुआ है। जिसको पंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। 35 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व नेताओं और 300 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों के नाम इस लीक में सामने आए हैं।

साल 2021 में इतिहास रच गया जुझारू किसान आंदोलन

जनविरोधी कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चले आंदोलन में साल के पहले दिन किसान नेताओं ने कहा था, "सरकार जब तक हमारी मांगें नहीं मान लेती, तब तक हमारे लिए कोई नया साल नहीं है।" और यही वह जज्बा था जिसने इस साल के खत्म होने के पहले तानाशाह मोदी सरकार को झुकाने और ऐतिहासिक जीत हासिल करने में देश के किसान कामयाब रहे।

पूरे दौर में भाजपा-आरएसएस, पूरे सरकारी तंत्र व सरकार पोषित मीडिया का षडयन्त्र, घटिया बयानों व दुष्प्रचारों के बावजूद नए-नए तरीके से आंदोलन फैलता गया, मज़दूर-मेहनतकशों सहित छात्र-नौजवानों, महिलाओं, संवेदनशील नागरिकों की व्यापक भागीदारी के साथ यह देशव्यापी जन आंदोलन बन गया।

किसान आंदोलन ने देश के हर एक पीड़ित नागरिक के भीतर हौसला पैदा किया, गलत व अन्याय के ख़िलाफ लड़ने की प्रेरणा दी, जो बीते साल को महत्वपूर्ण व यादगार बना गया।

दमन के बीच मज़दूर आंदोलन जारी

साल 2021 जहाँ कोरोना की दूसरी लहर के साथ एकबार फिर मज़दूर-मेहनतकश आबादी के लिए कहर बरपा हुआ, वहीं मज़दूरों के शानदार आंदोलनों का गवाह भी रहा। निजीकरण के ख़िलाफ बैंक, बीमा, आयुध कारखानों, कोल खदानों, डाक, बीपीसीएल से लेकर बिजली, रोडवेज, रेल महकमें तक में हड़तालों का सिलसिला पूरे साल जारी रहा। हालांकि ये आंदोलन एक साझा आंदोलन की जगह अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग चलती रहीं।

उधर छँटनी, बंदी, उत्पीड़न, दमन, माँगपत्रों आदि को लेकर माइक्रोमैक्स, वोल्टास, एलजीबी, इंटरार्क, गुजरात अंबुजा, एचपी से लेकर डाइडो, अशोका, सत्यम आदि में सतत आंदोलन चलते रहे। आंगनवाड़ी, आशा, भोजन माता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि स्कीम वर्कर्स के आंदोलन पूरे साल चले और कई जगह/राज्यों में कुछ सफलताएं हासिल हुईं। तो देश के विभिन्न हिस्सों में सफाई कर्मी भी आंदोलित रहे।

कर्मचारी विरोधी नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर में आंदोलन जारी रहे। वहीं दमन के बीच बेरोजगारी के ख़िलाफ आंदोलन पूरे साल चला और रोजगार देने की माँग, शिक्षा का निजीकरण व भगवाकरण, अवैज्ञानिकता के बढ़ते प्रचालन के बीच छुटपुट आवाज़ें भी मुखर होती रहीं।

संघर्षों के बीच कुछ जीतें भी मिलीं

जारी संघर्षों के बीच पंतनगर स्थित रॉकेट इंडिया, महिंद्रा सीआईई, डेना इंडिया, महिंद्रा, वोल्टास, हेंकेल एडहेसिवस, संसेरा, ऑटो लाइन, बीसीएच, एंडोरेन्स; टाटा मोटर्स साणंद (गुजरात), मारुति सुजुकी मज़दूर संघ के बैनर तले मारुति गुरुग्राम व मानेसर और सुजुकी पॉवर ट्रेन में सामूहिक माँगपत्र पर, परफेटी पंतनगर व परफेटी मानेसर, हीरो मोटोकॉर्प गुड़गाँव आदि तमाम कंपनियों में वेतन समझौते हुए।

डायडो इंडिया, नीमराना (अलवर) के मज़दूरों ने यूनियन का रजिस्ट्रेशन हासिल किया; मदरसन (चेन्नई) में 48 मज़दूरों की बर्खास्तगी अवैध घोषित हुई। माइक्रोमैक्स में लगातार संघर्षों के बीच आंशिक जीतों के बीच कार्यबहाली का रास्ता और साफ हुआ।

अन्यायपूर्ण सजा झेलते मारुती सुजुकी के दो मज़दूर साथियों का दुखद निधन हुआ तो मारुति के 4 साथियों को 9 साल बाद जमानत मिली।

बीते साल गूगल से जुड़े कर्मचारियों ने सैन फ्रांसिस्को में अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन बनाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की।

नफरत का व्यापार भी रहा तेज

बीते साल भी आरएसएस-भाजपा की फासीवादी ताक़तों ने जातिय, धर्मिक व राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद, सांप्रदायिक खेल तेजी से आगे बढ़ाया। जिसके चलते राष्ट्रवाद के नाम पर देश के भगवाकरण और विकास के नाम पर कॉरपोरेटीकरण (पूँजी की लूट को खुली छूट) की राह आसान बनी रही।

हालांकि किसान आंदोलन ने जाति-मजहब के बहाने बंटवारे की दीवार को एक हद तक तोड़ने का काम किया और एक बार पुनः साबित किया कि बेलगाम लूट के लिए ही सत्ताधारी आपस में एकदूसरे के खूनी दुश्मन बनाते हैं और हक़ का संघर्ष ही इसे तोड़कर मजबूत एकता में बदल सकती है।

निर्णायक संघर्ष की तैयारी करो!

नए साल में एकबार फिर कोरोना का कहर बरपा होने लगा और सरकारी तंत्र की निरंकुशता व पाबंदियों की आशंका के बीच चौतरफा ख़ौफ का मंजर कायम है। मज़दूर विरोधी श्रम संहिताएं लागू करने, निजीकरण और बेलगाम बनाने की मोदी सरकार की तैयारी पूरी है।

ऐसे में मज़दूर-मेहनतकश जनता के सामने एक जुझारू व निरन्तरता में आगे बढ़ाते हुए निर्णायक संघर्ष के लिए कमर कसना ही रास्ता है। किसान आंदोलन ने एक सबक दिया है, उसे मज़दूरों को भी आत्मसात करना होगा।

उत्तराखण्ड

छँटनी-बंदी के ख़िलाफ संघर्ष में गुजरा साल; संघर्ष जारी है

साल 2021 एक बार फिर मज़दूरों के संघर्षों के साथ गुजर गया। भगवती माइक्रोमैक्स, एचपी, वोल्टास, करोलिया लाइटिंग, एलजीबी, इंटरार्क, गुजरात अम्बुज, बजाज मोटर्स, सत्यम ऑटो आदि के मज़दूर कार्यबहाली के लिए जज्बे के साथ पूरे साल संघर्षों में डटे रहे और कड़कड़ाती ठंड के बीच **नए साल में भी इस हौसले के साथ ही संघर्ष में डटे हुए हैं कि- लड़ेंगे-जीतेंगे।**

माइक्रोमैक्स मजदूरों का संघर्ष जारी

भगवती प्रोडक्ट्स माइक्रोमैक्स, पंतनगर के 351 मज़दूर अवैध छँटनी, ले ऑफ, बर्खास्तगी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से कार्यबहाली के लिए उनका संघर्ष जारी है।

औद्योगिक न्यायाधिकरण से जीत मिलने और उच्च न्यायालय नैनीताल से इसके अनुपालन के आदेश के बावजूद अभी तक मज़दूरों की कार्यबहाली नहीं हुई है। काफी संघर्षों के बाद साल बीतते, सहायक श्रम आयुक्त ने 1 माह के भीतर छँटनीशुदा 303 मज़दूरों में से 152 की कार्यबहाली का आदेश पारित किया। इसके अनुपालन सहित समस्त 351 मज़दूरों की कार्यबहाली का संघर्ष नए साल में भी जारी है।

अवैध बंदी के ख़िलाफ एचपी इंडिया के मज़दूरों का संघर्ष

सिडकुल पंतनगर स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी एचपी इंडिया ने अपना प्लांट अचानक गैरकानूनी रूप से बंद कर दिया। अपनी इस षडयंत्रकारी योजना के तहत उसने श्रमिकों को कोविड के बहाने सवेतन घर बैठाया। दूसरी ओर वह मज़दूरों को वीआरएस, ट्रांसफर आदि का लालीपॉप भी देता रहा। इसबीच उसने ठेका मज़दूरों की छँटनी कर दी। अंततः बचे 185 स्थाई श्रमिक अचानक बंदी के बाद से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हल्द्वानी श्रम भवन में उनका धरना जारी है।

करोलिया के मज़दूर आंदोलित

कारोलिया लाइटिंग पंतनगर में भी यूनियन बनने के बाद पिछले दो साल से ही संघर्ष जारी है। कोविड-19 के विकट दौर में कोरना जांच की माँग करने पर प्रबंधन ने पहले यूनियन के उपाध्यक्ष को बर्खास्त किया और अब अचानक 10 मजदूरों की गैरकानूनी गेटबंदी कर दी।

लगातार दमन और माँगपत्र पर प्रबंधन की हठधर्मित के कारण कारोलिया लाइटिंग इम्पालाइज यूनियन ने प्रबंधन को हड़ताल की वैधानिक नोटिस दी। लेकिन 5 जनवरी को प्रबंधन ने समस्त श्रमिकों की अवैध गेटबंदी कर दी। तमाम दबावों के बाद 14 जनवरी से बर्खास्त 11 श्रमिकों को छोड़कर बाकी मज़दूरों का गेट खुला और मज़दूर कार्य पर चले गये है।

मज़दूरों का संघर्ष नए चरण में जारी है। समस्त 11 श्रमिकों की कार्यबहाली, सारे आरोप पत्र निरस्त करने और माँग पत्र पर समझौता करने की माँग के साथ मज़दूर संघर्षरत हैं।

इंटरार्क दोनों प्लांटों में संघर्ष जारी

इंटरार्क कंपनी के उधम सिंह नगर जिले में दो प्लांट- पंतनगर और किच्छा में है। जहां 2018 से 32 मज़दूर गैरकानूनी गेट बंदी के शिकार हैं। तबसे मज़दूरों का वेतन भी नहीं बढ़ा है। जिससे मज़दूर आक्रोशित हैं और कार्यबहाली व मांग पत्र के लिए पिछले लंबे समय से संघर्षरत है। कंपनी के दोनों गेटों पर मज़दूरों का बेमियादी धरना लगातार चलता रहा है।

वोल्टास मज़दूरों का संघर्ष

वोल्टास लिमिटेड पंतनगर में 9 मज़दूरों की गैरकानूनी सेवा समाप्ति का संघर्ष पिछले ढाई सालों से जारी है। दरअसल यूनियन के मांग पत्र पर दबाव बनाने के लिए प्रबंधन ने यूनियन के अध्यक्ष महामंत्री सहित 9 मज़दूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रबंधन द्वारा तोड़फोड़ करके मज़दूरों के भीतर बिखराव की स्थिति पैदा करने की कोशिशें लगातार जारी है।

गुजरात अंबुजा मज़दूर संघर्षरत

गुजरात अंबुजा सिडकुल सितारगंज के मज़दूर मांग पत्र के लिए जब संघर्ष की राह पर उतरे तो प्रबंधन ने दमनकारी रास्ता अपनाया और मज़दूरों की गैरकानूनी गेटबंदी, निलंबन, बर्खास्तगी कर दी। अन्याय के खिलाफ 100 से ज्यादा मज़दूर पिछले 2 साल से लगातार संघर्षरत हैं।

एलजीबी में लंबा संघर्ष

एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रास लिमिटेड, पंतनगर में यूनियन बनने के समय 2012 से ही दमन के बीच संघर्ष जारी है। वर्तमान में यूनियन महामंत्री पूरन चंद पांडे बर्खास्त हैं क्योंकि प्रबंधन द्वारा कोविड के दौरान गैरकानूनी वेतन कटौती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

संघर्षरत हैं सत्यम ऑटो के मज़दूर

सत्यम ऑटो हरिद्वार के 200 मज़दूरों का कार्यबहाली के लिए पिछले करीब 4 सालों से संघर्ष जारी है। बीते साल उन्होंने परिवारों के साथ जोरदार संघर्ष चलाया, जो जारी है।

इसी तरह कार्यबहाली के लिए सिड़कुल पंतनगर स्थित **बजाज मोटर्स**, **लुकाच टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प** सिडकुल हरिद्वार आदि के मज़दूर भी संघर्षरत हैं।

संघर्षों में मिली कुछ जीतें

इस साल भगवती-माइक्रोमैक्स मज़दूरों को आंशिक सफलताएं मिलीं, हालांकि कार्यबहाली अबतक नहीं हो सकी। वहीं गुजरात अंबुजा, इंटरार्क कंपनी के मज़दूरों को कुछ क़ानूनी जीतें भी हासिल हुईं। इसी के साथ बीते साल संघर्षों के बीच राकेट इंडिया, महिंद्रा सीआईई, डेना इंडिया, परफेटी, महिंद्रा एण्ड महिंद्रा, वोल्टास, हेंकेल एडहेसिव्स, संसेरा इंजीनियरिंग, ऑटो लाइन, बीसीएच, एंडोरेन्स आदि तमाम कंपनियों में वेतन समझौते भी हुए।

हक़ के लिए संघर्ष जारी

श्रमिक संयुक्त मोर्चा, उधम सिंह नगर श्रमिक समस्याओं को लेकर पूरे साल आन्दोलनात्मक गतिविधियां चलाता रहा। मोर्चा नेतृत्व में वोल्टास मज़दूरों के पक्ष में तमाम यूनियनों ने क्रमिक अनशन चलाया, कई बड़े रैली-प्रदर्शन किए, संघर्षों में भागीदारी की और प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दिया।

इसी के साथ मोर्चा ने मज़दूर विरोधी श्रम संहिताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए तो किसान आंदोलन के पक्ष में बाइक रैली सहित तमाम प्रदर्शन आयोजित किए।

वर्ष 2021 कोरोना महामारी के बावजूद छँटनी-बंदी-बर्खास्तगी-दमन-शोषण के खिलाफ मज़दूरों के विकेट संघर्षों के दौर से गुजरा। नया साल उन्हीं संघर्षों के साथ शुरू हुआ है और अन्याय के खिलाफ न्याय का संघर्ष जारी है।

उत्तराखण्ड

चुनाव आचार संहिता के बहाने मज़दूरों का दमन क्यों?

उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा के साथ ही मज़दूरों के दमन का एक नया दौर शुरू हो गया है। छँटनी, बंदी, बर्खास्तगी और शोषण-उत्पीड़न-दमन के ख़िलाफ संघर्षरत मज़दूरों को प्रशासन कोई न्याय नहीं दे सकता, लेकिन तरह-तरह से मज़दूरों का दमन जरूर तेज कर रहा है। कभी कोविड-19 के बहाने तो कभी चुनावी आचार संहिता के बहाने।

यह सर्वविदित है कि चुनाव आचार संहिता केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टियों या प्रत्याशियों पर लागू होता है। यह भी स्पष्ट तथ्य है कि चुनाव की अशांति को रोकने के लिए खतरनाक अपराधियों को जिला बदर किया जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड में यह एक नई परंपरा शुरू हुई है कि चुनाव आचार संहिता के बहाने संघर्षरत मज़दूरों का दमन बढ़ाया जाए।

अभी उत्तराखंड में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। ऊपर से नीम में करेला यह कि कोविड-19 की तीसरी लहर का हौवा है। प्रशासन ने दोनो हवाले के साथ जिले में धारा-144 लागू करके संघर्षरत मज़दूरों सहित सभी नागरिकों के वैधानिक अधिकार सीज कर दिए।

ऐसे में गैर कानूनी छँटनी के खिलाफ 3 साल से संघर्ष कर रहे भगवती-माइक्रोमैक्स के मजदूर हों, गैरकानूनी बंदी के खिलाफ एचपी इंडिया के संघर्षरत मज़दूर हों, अवैध बर्खास्तगी और मांग पत्र के लिए लड़ते इंटरार्क पंतनगर और किच्छा के मज़दूर हों, या फिर करोलिया लाइटिंग के मज़दूर। अपने हक़-हकूक के लिए संघर्षरत इन मज़दूरों के आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर चुनाव आचार संहिता का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है।

श्रमिक संयुक्त मोर्चा द्वारा संघर्षरत मज़दूरों के पक्ष में रैली-प्रदर्शन के कार्यक्रम को प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता, कोविड व धारा-144 का रूआब दिखलाकर अनुमति नहीं दी।

अब कंपनी गेट पर धरनारत इंटरार्क के मज़दूरों को प्रशासन ने नोटिस भेज दी है कि यदि वे धरना चलाएंगे तो उन पर कार्यवाही होगी। इसी तरह श्रम भवन हल्द्वानी से एचपी मज़दूरों का धरना स्थगित करवा दिया गया।

रुद्रपुर स्थित श्रम भवन में बाकायदा एक नोटिस चस्पा है, जिसमें धारा-144 के हवाले से धरना-प्रदर्शन पर रोक के साथ कार्यवाही का डंडा दिखाया गया है।

साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान जिला प्रशासन ने हद ही पार कर दी थी, जब भगवती-माइक्रोमैक्स और इंटरार्क के मज़दूरों को चुनाव के लिए खतरनाक साबित होने संबंधी नोटिस जारी करके पाबंद कर दिया था। विगत दो वर्षों से कोविड के बहाने भी मज़दूरों के आंदोलन, धरना-प्रदर्शन को प्रशासन ने प्रतिबंधित रखा।

सवाल यह है कि कंपनियों के भीतर सैकड़ों श्रमिक एक साथ काम करते हैं तब कोविड गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं दिखता है, लेकिन मज़दूर अगर अपने हक के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं, तो कोविड-19 का उल्लंघन कैसे हो जाता है? मज़दूर चुनाव में भागीदारी नहीं कर रहे लेकिन चुनाव के लिए क्यों खतरनाक साबित होने लगते हैं?

यह मज़दूरों के साथ घोर अन्याय है। जो भयानक दौर की बानगी मात्र है। निश्चित रूप से दमन के बढ़ते इस दौर का एक महत्वपूर्ण कारण मज़दूरों की व्यापक एकता का अभाव है। इसके खिलाफ एकजुट संघर्ष ही इसका जवाब है, जैसा किसान आंदोलन ने दिखाया।

ऐसे में प्रशासन और सरकारें मज़दूरों को बाध्य कर रही हैं कि वह इन नाइंसाफ़ियों और निरंकुशता के खिलाफ अपने संघर्ष को मजबूत करें।

छँटनी के 3 साल : श्रमभवन पर जवाब दो चेतावनी प्रदर्शन

रुद्रपुर। भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड (माइक्रोमैक्स) में गैर कानूनी छँटनी, लेऑफ व बर्खास्तगी के 3 साल होने पर 27 दिसंबर को मज़दूरों ने श्रम भवन रुद्रपुर में 'जवाब दो चेतावनी प्रदर्शन' किया और सहायक श्रम आयुक्त को ज्ञापन देकर समस्त 351 श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली की मांग बुलंद की। मज़दूरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

सभा में वक्ताओं ने माइक्रोमैक्स के साथ एचपी कंपनी की बंदी, करोलिया लाइटिंग में श्रमिकों की अवैध गेट बंदी, वोल्टास, एलजीबी, इंटरार्क, गुजरात अंबुजा, बजाज मोटर्स आदि कंपनियों में मज़दूरों के साथ हो रहे अन्याय के साथ श्रम अधिकारियों व प्रशासन की निष्क्रियता पर रोष प्रकट किया। साथ ही मज़दूरों को बंधुआ बनाने वाली चार श्रम श्रम संहिताओं को रद्द करने की माँग हुई।

वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन ने 27/12/2018 को गैरकानूनी रूप से 303 श्रमिकों की छँटनी कर दी थी, जिसे औद्योगिक न्यायाधिकरण ने भी अवैध घोषित कर चुका है। उच्च न्यायालय ने भी उक्त आदेश के परिपालन के ही निर्देश जारी किए हैं। प्रबंधन ने मनमाने रूप से 47 श्रमिकों को कथित ले ऑफ के बहाने बाहर कर रखा है, यूनियन अध्यक्ष सूरज सिंह बिष्ट को अवैध रूप से बर्खास्त कर दिया। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद कार्यबहाली नहीं हो सकी है। श्रमिकों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में संघर्ष ही रास्ता है।

प्रदर्शन में श्रमिक संयुक्त मोर्चा उधम सिंह नगर, मज़दूर सहयोग केंद्र, बिट्रानिया श्रमिक संघ, संसेरा श्रमिक संगठन, रॉकेट रिद्धि सिद्धि कर्मचारी संघ, एलजीबी वर्कर्स यूनियन, नेस्ले कर्मचारी संगठन, कारोलिय लाइटिंग इम्प्लाइज यूनियन, महिंद्रा कर्मकार यूनियन, थाई सुमित नील ऑटो कामगार संगठन, एचपी मज़दूर संघ, इंट्रारार्क मजदूर संगठन, भगवती श्रमिक संगठन, भगवती इम्प्लाइज यूनियन, राने मद्रास इम्प्लाइज यूनियन आदि ने भागीदारी की।

छपते-छपते...

इंटर्राक पंतनगर में चोरी से रात में मशीनें शिफ्टिंग को मज़दूरों ने नाकाम कर दिया। मज़दूरों का गेट पर बेमियादी धरना जारी है।

राजस्थान

डायडो इन्डिया नीमराना: यूनियन तोड़ने के लिये मालिक एकजुट

संघर्ष के लिये कमर कस चुके हैं शोषण-दमन की चक्की में पिसते मज़दूर

मेहनतकश प्रतिनिधि

नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के जापानी जोन स्थित डायडो इन्डिया में यूनियन बनने के बाद से ही प्रबन्धन की तानाशाही और शोषण लगातार तेज होता जा रहा है। प्रबंधन मज़दूरों की माँगपत्र को दरकिनार करके यूनियन भंग करने का बेजा दबाव बना रहा है। ऐसे में डायडो मज़दूर यूनियन के बैनर तले मज़दूरों ने प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला किया।

यूनियन का कहना है कि प्रबंधन को दिनांक 29.07.2021 को माँगपत्र दिया गया था। जिसपर प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। श्रम विभाग में मांग पत्र पर आयोजित वार्ता में भी प्रबंधन का रुख अडियल है, जिससे समझौता वार्ता की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। यूनियन के संरक्षित कर्मकार के आवेदन पर भी प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्रम विभाग में मांग पत्र पर समझौता वार्ता लंबित रहने के दौरान प्रबंधन द्वारा अनुचित तरीके से नए श्रमिकों की भर्ती की जा रही है। समझौता वार्ता के दौरान प्रबंधन द्वारा झूठे आश्वासन देकर श्रम अधिकारियों और यूनियन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा प्लांट में लगातार असामाजिक तत्त्वों को प्रवेश देकर औद्योगिक शांति भंग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन तत्त्वों द्वारा प्रबंधन और एमडी का नाम लेकर पदाधिकारियों को यूनियन छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है, प्लांट में बाहर के असामाजिक तत्व प्रबंधन के साथ सांठगांठ कर रहे हैं और लाइन पर बाउंसरों द्वारा श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें डराया.धमकाया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा अनुचित श्रम अभ्यास और संस्थान का माहौल ख़राब करने का प्रयास लगातार जारी है।

कम्पनी बार-बार झूठे आरोप लगा रही है कि श्रमिक लाइन बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। 4 महीने पहले भी उसने झूठे आरोप लगा कोर्ट में फर्जी तस्वीरें और सबूत को पेश किया था जबकि कोई हड़ताल नहीं हुई थी।

प्रबंधन द्वारा पिछले एक महीने से नए ठेका श्रमिक भर्ती किये जा रहा हैं। इनको प्लांट में मारपीट करने और श्रमिकों को उकसाने के लिए ट्रेनिंग देकर लाइन पर भेजा गया है। प्रबंधन उनकी फोटो लेकर और प्रशासन को झूठे पत्र लिखकर भ्रमित कर रहा है और यूनियन तथा श्रमिकों के खिलाफ काम न करने का आरोप रच रहा है।

प्रबंधन के उत्पादन प्लान के अनुसार पूर्ण उत्पादन देने के बावजूद प्रबंधन के रूखे रवैया से प्लांट के अंदर श्रमिकों में रोष और हताशा का माहौल व्याप्त है। कोरोना महामारी के नाम पर पूरे इलाके में मज़दूरों को सभा करने से रोका जा रहा है।

जापानी जोन में मालिकों की नीमराना एसोसिएशन के नेतृत्व में अन्य कंपनियों के प्रबंधक जापानी जोन में मज़दूरों की यूनियन को तोड़ने के लिए मिलकर षडयंत्र रच रहे हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन सब में श्रम विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत है।

यूनियन का कहना है कि अगर डायडो प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की मांग नहीं मानी गई और वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो श्रमिकों की ओर से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी और इससे पैदा किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी डायडो प्रबंधन और नीमराना प्रशासन की होगी।

डाइडो मज़दूर दमन के बने शिकार

डायडो प्रबंधन के इशारे पर पुलिस ने यूनियन नेताओं सहित 16 श्रमिकों को कथित शांति भंग में 107/116(3) सीआरपीसी का नोटिस जारी किया। पुलिस घर-घर जाकर मज़दूरों को डराने लगी। 24 जनवरी को नीमराना पुलिस ने प्लांट के अंदर ही श्रमिकों को नोटिस देने और यूनियन बनाने पर धमकी देने के साथ एक श्रमिक को कार्यक्षेत्र से उठाकर थाने में बंद कर दिया, प्लांट में भारी पुलिस बल और स्पेशल पुलिस फोर्स की क्यूआरटी तैनात कर दी गई। 24 घंटे बाद 25 जनवरी की शाम श्रमिक को 25-25 हजार के दो मुचलके पर छोड़ा गया।

शाम को एसडीएम की मध्यस्थता में यूनियन और डायडो प्रबंधन की मीटिंग में स्पष्ट हुआ कि डायडो प्रबंधन ने 26 जनवरी को गेट पर झंडा लगाने के नाम पर झूठी अफवाह उड़ा कर यह पुलिस कार्रवाई अंजाम दी है।

अर्बन कम्पनी की महिला श्रमिकों का संघर्ष

गुडगाँव। बीते 20 दिसंबर को अर्बन कंपनी से जुड़ी महिला श्रमिक शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर चली गई थीं। इससे पहले अक्टूबर में भी ये महिलाएं हड़ताल पर गई थीं। भीषण ठंड में वे गुड़गांव स्थति कंपनी मुख्यलाय पर रात-दिन बैठी रहीं। हालाँकि कोर्ट के आदेश से आन्दोलन स्थगित करना पड़ा।

इस बार वे कर्मचारियों के वर्गीकरण और एक नई सदस्यता सेवा के ख़िलाफ़ सड़कों पर रहीं। जो उन्हें महीने में एक निश्चित संख्या में काम लेने के लिए मजबूर करता है।

अर्बन कंपनी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के ज़रिए लोगों के तरह-तरह के काम कराता है। मेकअप कराना हो, घर सजाना हो, बाथरूम की सफाई, बिजली फिटिंग या कोई और काम, ऐप या वेबसाइट पर बुक करने पर अर्बन कंपनी उनको भेज देती है।

2014 में शुरू हुई इस कंपनी ने बीते सालों में काफ़ी बड़े पैमाने पर अपना कारोबार बढ़ाया है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक़ क़रीब 35 हज़ार कर्मचारी अर्बन कंपनी के साथ जुड़े हैं और अर्बन कंपनी की मार्केट वैल्यू फिलहाल 2 अरब डॉलर है।

हरियाणा

मारुति अन्याय व संघर्ष के साढ़े नौ साल

अन्यायपूर्ण सजा झेलते यूनियन प्रधान सहित 7 साथियों को मिली जमानत, दो साथियों की मौत

मेहनतकश प्रतिनिधि

साढ़े नौ साल जेल में बिताने के बाद प्रबन्धन के मुख्य निशाने पर रहे मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन मानेसर के पूर्व प्रधान राममेहर, पूर्व महासचिव सर्वजीत और प्रदीप गुज्जर को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायलय से कस्टडी आधार पर जमानत मिल गई है। इससे पूर्व अन्यायपूर्ण उम्रक़ैद झेलते 13 मज़दूरों में से चार संघर्षशील साथियों योगेश, संदीप ढिल्लों, सुरेश और रामबिलास को जमानत मिली थी, जबकि दो साथियों पवन दहिया व जिया लाल की बीते साल दुर्भाग्यपूर्ण दुखद मौत हो गई थी।

अन्याय का दंश झेलते मारुति मज़दूर

18 जुलाई, 2012 को मारुति सुजुकी, मानेसर प्लांट में हुई साजिशपूर्ण घटना के बाद 148 मज़दूरों को जेल के अंदर डाल दिया गया था। वह भारी दमन चक्र का दौर था। तबसे सरकार-मालिक गँठजोड़ खुलकर सामने है। निर्दोष मज़दूरों को पुलिस व जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। करीब ढाई हजार स्थाई-अस्थाई मज़दूरों की अवैध बर्खास्तगी हुई। 18 मार्च 2017 को गुडगांव कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें 117 मज़दूर बरी हुए, 13 अगुआ साथियों को अन्यायपूर्ण उम्रक़ैद की सजा मिली। तबसे वे जेल की कालकोठरी में जूझ रहे हैं।

बीते साल दो साथियों- पवन दहिया की पैरोल के दौरान घर पर बिजली का करंट लगाने से जबकि साथी जिया लाल की कैंसर से अकाल दुखद मौत हो गई।

10 वर्षों से ये साथी न्याय की उम्मीद में बिना किए अपराध की सजा काट रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद भी इन साथियों को कोई कानूनी राहत नहीं मिल पाई। लगातार जमानत याचिका खारिज होती रही। लेकिन मारुति सुजुकी मज़दूर संघ के साथ अन्य प्लांट के मज़दूरों ने अपने भाईचारे का फ़र्ज़ निभाते हुए इनके परिवारों की देखभाल की। आंदोलन की अगुवाई करने वाले प्रोविजनल कमेटी के साथियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संघर्ष अभी जारी है...

साढ़े नौ साल कालकोठरी में बिताने के बाद सात साथियों को जमानत मिल सकी वह भी इतने लम्बे समय जेल में गुजारने (कस्टडी) के आधार पर। इसी आधार पर अन्य चार साथियों की जमानत और सभी बचे 11 साथियों की बाइज्जत रिहाई का संघर्ष व अवैध बर्खास्तगी झेलते 2500 स्थाई-अस्थाई मज़दूरों की कार्यबहाली का संघर्ष भी जारी है।

साम्प्रदायिकता खारिज करके ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी

कुरुक्षेत्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को जन संघर्ष मंच हरियाणा, कुरुक्षेत्र द्वारा मिडिल स्कूल गांधीनगर में जनसभा प्रदर्शन हुआ व नेता जी को श्रद्धांजलि दी गई।

इसी तरह गांव बारणा व गांव सारसा में मंच की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई व जनसभा हुई। जहाँ मंच के जिला प्रधान संसार चंद, नरेश कुमार, मेवाराम ने नेताजी के बारे में विस्तार से बताया।

कुरुक्षेत्र में मंच के जिला सचिव चन्द्र रेखा, उपाध्यक्ष उषा कुमारी, महासचिव सुदेश कुमारी ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आजाद हिंद फौज, रानी झांसी रेजिमेंट बनाया था और अंग्रेजी शासन की नींव हिलाई थी।

उन्होंने कहा कि देश आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं लेकिन देश में मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, महिलाएं भयंकर समस्याओं से जूझ रहे हैं। भयावह बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई, निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिक व जातिवादी कॉरपोरेटपरस्त नीतियों से जनता त्रस्त है। मोदी सरकार मज़दूर वर्ग को कमजोर करने के लिए 4 लेबर कोड थोप रही है। आंदोलनों का अंग्रेजों की तरह ही आज भी दमन करती है, गोलियां चला कर गाडियों से रौंद कर हत्या करवाती है। उधर धर्म संसद आदि के द्वारा भाजपा के नेता सन्यासी सन्यासिनी, मंत्री अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कत्लेआम के लिए खुलेआम आह्वान करते हैं जो अत्यन्त निन्दनीय है।

मंच महासचिव सुदेश कुमारी ने बताया कि धार्मिक आधार पर राजनीति करना सुभाष चंद्र बोस की नजर में राष्ट्र के साथ द्रोह करना था। सांप्रदायिकता को खारिज किए बिना नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। मंच नेताओं ने आम जनता का आह्वान किया कि देश में भाजपा व संघ की धर्म के आधार पर हो रही राजनीति का डटकर विरोध करें और मोदी सरकार की कॉरपोरेटपरस्त पूंजीवादी नीतियों व साम्प्रदायिक जातिवादी राजनीति के ख़िलाफ जुझारू आंदोलन संगठित करने हेतु आगे आएं।

इस मौके पर मंच के साथी सतीश कुमार, ईश्वर, वंदना, पृथ्वी, पूजा, याशना, अंजलि, यशस्वी, शकुंतला देवी, सोनू, पुष्पा, कैलास, सोनिया, विमला, पाशीराम आदि मौजूद थे।

"हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासी और संन्यासिनों को वोट मांगने के लिए जूटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान में सिर झुका देते हैं धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें, ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फैंके। उनकी बातों पर कान न दें।"

नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 12 मई 1940

सबारंग मेला : सावित्रीबाई जन्मोत्सव में बच्चों के विविध कार्यक्रम

लोगों ने सावित्री और फातिमा को भी देखा

मेहनतकश प्रतिनिधि

गुडगाँव। सावित्रीबाई फुले के 191वीं जन्मोत्सव 3 जनवरी 2022 को, सावित्रीबाई फुले जन्मोत्सव समिति और शिक्षा के साथी (गुड़गांव) द्वारा बच्चों की पूरी भागीदारी के साथ गीत, नाटक, डांस, कविता, पोस्टर प्रदर्शनी आदि से इस साल के सबरंग मेला में एक मज़ेदार माहौल बना।

अलग-अलग स्कूलों से आकर बच्चों ने मिलजुलकर 'कोलाज' बनाये और एक 'समकालीन डांस' की कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। किसी ने सोचा भी कहाँ था कि ये बच्चें कोलाज जैसा एक जटिल चित्र बनाने के तरीके को इतनी स्वतंत्रता के साथ अपनी सोच को सजाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। डांस के अन्दर जो मौनता छुपा रहता है उसे इतने चंचल बच्चे इतने अच्छे से छु पाएंगे।

इस साल इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू था साम्प्रदायिकता के ख़िलाफ आवाज उठाना। इसी दौरान बच्चों ने विनय-चारुल का गाना 'मंदिर मस्जिद गिरिजाघर ने बाँट लिया भगवान को/धरती बाँटी सागर बाँटा मत बाँटो इंसान को' से कार्यक्रम की शुरुआत की। अन्य कार्यक्रमों में भी लिंग, जाति, धर्म और धन की असमानताओं के ख़िलाफ बच्चों ने अपनी कविता और नाटक के ज़रिये बारबार सवाल उठाये।

2017 से इस सावित्रीबाई फुले जन्मोत्सव तक गुड़गाँव की एक-दो बस्ती और कॉलोनी के बच्चें ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते आ रहे हैं। इस बार तो भाग लेने वाले बच्चों की मम्मी, दीदी, भाभी, चाची, ताई आदि और कुछ-कुछ स्कूल के टीचर भी इसमें दर्शक बनकर आये और अपनी-अपनी प्रतिक्रिया से बच्चों का उत्साह बढ़ाया।

कार्यक्रम के अंत में एक अनोखा दृश्य सारे कलाकार और दर्शकों के लिए हॉल के बाहर इंतिज़ार कर रहा था। दो जबरदस्त औरतें मैदान में खड़ी होकर जैसे बड़े ध्यान से बच्चों की पेंटिंग और पोस्टर देख रही थीं।

कौन थे ये दोनों?

बच्चों और बड़ों के एक छोटे से समूह को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था कि खुद सावित्रीबाई और दलित व औरतों के लिए शिक्षा के काम में उनका साथ देने वाली सहेली फातिमा शेख इसबार सबरंग मेला में पधारने वाली हैं!

दरअसल गुड़गाँव के प्रेम नगर बस्ती से काफी बच्चे इन कार्यक्रमों में शुरू से हिस्सा लेते आ रहे हैं। इस बस्ती के निवासी बांस की चटाई बनाने के काम से जुड़ें हैं। चटाई के साथ रामनवमी के समय यही लोग 'रावण' बनाने का भी काम करते हैं। बूढ़े-बच्चे- महिला-पुरुष सभी इस काम में एक्सपर्ट हैं।

इन्ही बच्चों में से करीब 15 बच्चों की एक टीम इस बार बांस और रंगीन कागज़ से रावण बनाने का जो तरीका हैं उसे इस्तेमाल करके इन चमत्कारी पुतलों को रूप दिया। शिक्षा के साथी के कुछ टीचर-वालंटियर ने भी इसमें हिस्सा लिया और बच्चों से पुतले बनाना सीखा। ये आठ फुट के पुतले उन सबके सामूहिक काम के एक नतीजा बनकर उभरे।

चूँकि इन पुतलें को बनाने का प्रोसेस आर स्ट्रक्चर रामनवमी पर बनता हुआ रावण जैसा था, काफी बच्चों के मन में यह सवाल पैदा हुआ कि, क्या हम सावित्री-फातिमा को भी जला देंगे! आयोजकों ने बताया कि यह सुनकर पहले तो खूब हसी आई। बाद में यह सोचकर बेहद गुस्सा भी आया कि आज देश की सरकार शिक्षा का बाजारीकरण करके और राम का नाम इस्तेमाल कर जाति-धर्म के भेदभाव का खेल रचकर असल में ही सावित्री-फातिमा के सपनों को रावण के पुतले जैसे जलाने में लगी है।

लॉकडाउन और ऑनलाइन शिक्षा के नामुमकिन व्यवस्थ से झेलने में नाकामयाब होकर हर राज्य में सैकड़ों दलित बच्चे पढ़ाई छोडने पर मजबूर हो रहे हैं। शायद वैसे ही सावित्री-फातिमा जैसी औरतों को इस देश में,

इस समय में फिरसे पैदा होने की शख्त जरुरत है, जो जाति-धर्म तोड़कर जुझारू रूप से सभी के लिए समान शिक्षा की ओर जाने के लिए हमें रास्ता दिखायेंगी।

सावित्रीबाई से प्रेरणा लें!

गोहाना (सोनीपत)। समतामूलक महिला संगठन एवं जन चेतना मंच ने सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस पर उनसे प्रेरणा लेकर शोषित-पीड़ित लोगों की आवाज बनने का आह्वान किया।

वक्ताओं ने बताया कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, कवयित्रि व युगान्तकारी नायिका सावित्री बाई फुले ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि बाल-विवाह प्रथा, बाल-हत्या, विधवाओं पर जारी अत्याचारों के ख़िलाफ़ सशक्त आवाज़ उठाई।

डॉ. सी. डी. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. सुनीता त्यागी, रघुबीर विरोधिया, मा. रमेश सैनी आदि ने सम्बोधित किया।

रिपोर्ट

मज़दूर सहयोग केन्द्र का सम्मेलन

हक़, मज़दूर विरोधी नितियों व दमन के ख़िलाफ जुझारू संघर्ष का आह्वान

मेहनतकश प्रतिनिधि

21 नवंबर, 2021 को मज़दूर सहयोग केन्द्र (एमएसके) उत्तराखंड का पहला सम्मेलन रुद्रपुर में संपन्न हुआ। जिसमें संगठन का घोषणा पत्र व संविधान और राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए। नए दौर में मजदूर आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प बांधा गया।

लक्ष्य, उद्देश्य व संविधान हुआ पारित

मज़दूर सहयोग केंद्र, 2014 में अपनी स्थापना के समय से इस क्षेत्र के संघर्षरत ट्रेड यूनियनों और मज़दूर आंदोलनों के समर्थन में निरंतर सक्रीय रहा है। लेकिन विभिन्न कारणों से इसका पहला सम्मेलन अब सम्पन्न हो सका।

संगठन का आंतरिक सम्मेलन दो सत्रों में हुआ। 14 नवंबर को संगठन के लक्ष्य व उद्देश्य पर व्यापक चर्चा के बाद पारित किया गया। इसमें देश-दुनिया व उत्तराखंड के वर्तमान हालात, संगठित-असंगठित, औद्योगिक व खेतिहर सहित विभिन्न क्षेत्र के मज़दूरों की स्थिति, छिनते श्रम क़ानूनी अधिकारों, बढ़ते दमन, मज़दूर वर्ग को बांटने की साजिशों और ऐसे में जुझारू व मुकम्मल संघर्ष की जरूरतों पर संगठन की अवस्थिति स्पष्ट हुई है।

इसी के साथ संगठन का संविधान उन्नत व नए रूप में सामने आया, जिसमें व्यक्तिगत व यूनियन दोनों स्तर की सदस्यता के साथ व्यापक जनवादी स्वरूप की अवधारणा है।

दूसरेसत्र में 21 नवंबर को 25 सदस्यी नयी कार्यकारिणी का चयन हुआ जिसमें संरक्षक अमर सिंह, अध्यक्ष मुकुल, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक सनवाल, उपाध्यक्ष दर्शन लाल, महासचिव धीरज जोशी, संयुक्त सचिव राजू सिंह, कोषाध्यक्ष महेंद्र राणा, प्रचार सचिव हरेंदर सिंह, संगठन सचिव चन्द्रमोहन लखेड़ा व कार्यालय सचिव गोविन्द सिंह निर्वाचित हुए। इसके अतिरिक्त एक सलाहकार मण्डल का भी गठन हुआ। साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ।

जुझारू किसान संघर्षों से प्रेरणा लो मज़दूर आंदोलन को मजबूत करो!

21 नवंबर को दोपहर 1 बजे से दुर्गा मंदिर परिसर, रविन्द्र नगर में सम्मलेन के खुले सत्र में देश, प्रदेश व क्षेत्र के विभिन्न मज़दूर संगठन, ट्रेड यूनियन और सामाजिक कर्मी शरीक हुए और अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।

वक्ताओं ने कहा कि नवउदारवादी दौर में कॉरपोरेट पूँजी और फासीवाद के सहमेल ने मुनाफे की लूट और जनता में उन्माद को बेलगाम बनाया, जिससे राष्ट्रवाद के नाम पर भगवाकरण और विकास के नाम पर पूँजी की लूट की खुली छूट की राह आसान हुई। इसी रथ पर सवार मोदी सरकार ने मज़दूरों के हकों को छीनने, देश के उद्योगों-संपत्तियों को बेचने व महँगाई-बेरोजगारी को बेलगाम बना दिया है।

वक्ताओं ने जुझारू किसान आन्दोलन से प्रेरणा लेकर मज़दूर आंदोलन को मजबूत करने पर बल दिया और हक़ के लिए मज़दूरों के संघर्षों को निरंतर, जुझारू और निर्णयक संघर्ष की धारा से जोड़कर आगे बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया।

6 प्रस्ताव पारित

सम्मलेन ने सर्वसम्मति से मज़दूर विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेने; सरकारी सार्वजनिक संम्पत्तियो को बेचना बन्द करने, निजीकरण पर रोक लगाने; किसान संकट का मुकम्मल समाधान करने; जन संघर्षों, मज़दूर नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन बन्द करने; यूएपीए जैसे दमनकारी काले कानूनों को रद्द करने, फर्जी आरोपों में बंद मज़दूरों व नेताओं की रिहाई आदि प्रस्ताव पारित किया। साथ ही, सम्मेलन ने उत्तराखंड और देश के मज़दूरों को जाति-धर्म-क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिशों के प्रति मज़दूरों को सतर्क और सचेत करने का कार्यभार लिया व राज्य के आद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में चल रहे तमाम मज़दूर संघर्षों के प्रति समर्थन जताया।

किसान संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रसिद्ध जनकवि और भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहाँ) के उत्तराखंड राज्य महासचिव बल्ली सिंह चीमा ने किसान-मज़दूर एकता को मजबूत करने का आह्वान और जन गीत प्रस्तुत किया।

सम्मेलन को उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों से पहुंचे मज़दूर सहयोग केंद्र गुड़गांव से अमित; जन संघर्ष मंच हरियाणा से सोमनाथ; इंकलाबी मज़दूर केंद्र से दिनेश; मज़दूर पत्रिका बिहार से संतोष; इफ्टू सर्वहारा से सिद्धांत; मज़दूर सहायता समिति से मोहित; मारुती सुजुकी वर्कर्स यूनियन प्रोविजनल कमेटी मानेसर, गुड़गाँव से राम निवास; डाइडो यूनियन, नीमराना (राजस्थान) से अमित; क्रालोस से शक्ति सरकार; वर्कर्स यूनिटी से संदीप; उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पी सी तिवारी आदि ने संबोधित किया।

साथ ही श्रमिक संयुक्त मोर्चा ऊधम सिंह नगर, रॉकेट रिद्धि सिद्धि कर्मचारी संघ, महिंद्रा सीआईई श्रमिक संगठन, नेस्ले कर्मचारी संगठन, पारले मज़दूर संघ, एडविक कर्मचारी संगठन, करोलिया लाइटिंग इंप्लाइज यूनियन, डेल्टा इम्पालाइज यूनियन, बीसीएच मज़दूर संघ, एचपी मज़दूर संघ, भगवती श्रमिक संगठन, भगवती इम्पालाइज यूनियन, वोल्टास इम्पालाइज यूनियन, बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीजन, गुजरात अंबुजा कर्मकार यूनियन सितारगंज, एलजीबी वर्कर्स यूनियन, एचसीएन, ऑटो लाइन इम्पालाइज यूनियन, महिंद्रा कर्मकार यूनियन, इंटरार्क मज़दूर संगठन पंतनगर, इंटरार्क मज़दूर संगठन किच्छा, आनंद निशिकावा इम्पालाइज यूनियन, रॉकेट इंडिया कर्मचारी संघ आदि ने भागीदारी की।

इसके अलावा उत्तराखंड छात्र संगठन, कलेक्टिव दिल्ली, सीपीआई, मज़दूर किसान संघर्ष समिति, एमकेयू आदि के साथी भी शामिल रहे।

इस अवसर पर पुस्तक व पोस्टर प्रदर्शनी भी लगी थी। साथ ही मासा द्वारा नई श्रम संहिताओं पर पुस्तिका और एमएसके के लक्ष्य-उद्देश्य की पुस्तिका भी प्रदर्शित हुई।

खुले सत्र की शुरुआत किसान आंदोलन के दौरान 750 से ज्यादा शहीद किसानों, उत्तराखंड आपदा और कोरोना आपदा के दौरान अकाल मौत के शिकार लोगों को दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि देने से हुई। अंत में जोशीले नारों के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

नागालैंड में क्यों मुखर है अफ्स्पा ख़त्म करने की माँग?

आर्मी द्वारा छः मजदूरों व 8 ग्रामीणों की हत्या के बाद आक्रोश व प्रदर्शन जारी है

बिदिशा

आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट 1958 (अफ्स्पा) को खत्म करने और भारत सरकार द्वारा इसको 6 महिनें बढ़ाने के निर्णय को रद्द करने की माँग के साथ 10 जनवरी को, करीब 200 लोगो ने नागालैंड के दीमापुर से 70 किलोमीटर दूर स्थित राजधानी कोहिमा तक एक शांतिपूर्वक मार्च निकाला। मार्च लगभग दो दिनों तक चली जिसे नागालैंड के कई राजनीतिक संगठन और आम जनता ने समर्थन भी दिया।

आम लोगो का कहना है कि सरकार उग्रवाद के नाम पर अपने सुरक्षा बलो द्वारा नागालैंड वासियों का कत्लेआम कर रही है। जिस कारण हम अफ्स्पा जैसे कानून को पूर्वोत्तर भारत खासकर नागालैंड में तत्काल खत्म करने की मांग के साथ शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं।

पिछले एक महीने में पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में कई सारे विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस क्षेत्र के कई राजनीतिक दलों व मुख्य नेताओं ने उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आर्म फोर्स द्वारा की गयी हत्याओं की भर्त्सना की।

क्यों भड़का आक्रोश?

4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन जिला के ओटिंग गांव में आर्मी के सुरक्षा बलों ने कोयला खदान से काम कर एक वैन से घर लौट रहे छः मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। घर न पहुँचाने पर शाम को गांव वाले उन्हें ढूंढने निकले। इसबीच उन्हें आर्मी की गस्ती गाड़ी मिली, जिससे गांव वालों ने लड़कों के बारे में पूछताछ की। इसी दौरान शक होने पर उन्होंने उस वैन को देखा, जिसमें प्लास्टिक शीट के नीचे छः लड़कों की लाश पड़ी थीं।

जिसके बाद लोग अक्रोशित हो उठे और आर्मी की उस गाड़ी को घेर लिया। जवाब में सुरक्षा बलों ने फिर से गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसमें आठ गांव वालों की मौत हो गई।

बहुत हुआ, अफ्स्पा को अब जाना होगा

घटना के खिलाफ जनता ने आन्दोलन और विरोध प्रदर्शन किया। आर्मी के जवानों ने आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले चलाए और हवाई फायरिंग भी की। इसपर विभिन्न राजनीतिक दलों की काफी सख्त प्रतिक्रिया आई। नागालैंड के कोनयाक ग्रुप और अन्य समुदायों ने चल रहे हॉर्नबिल उत्सव को रोक दिया और उत्सव के बहिष्कार की मांग उठाई। सभी गांवों के बाहर और घरों के बाहर नागालैंड से आर्मी के चले जाने, अफ्स्पा कानून को रद्द करने और मारे गए सभी लोगों को न्याय देने जैसी मांगो के साथ पोस्टर लगाए गए।

हर तरफ से आवाजें उठीं- "अब बहुत हुआ, अफ्स्पा को अब जाना होगा"। कोनयाक समुदाय ने घोषणा पत्र निकाल 30 दिनों के अंदर इन हत्याओं में शामिल अधिकारियों और सुरक्षा बलों पर कार्रवाई की माँग की। कोई कार्रवाई नही होने पर समुदाय ने फिरसे सरकार को 15 से 25 जनवरी तक का समय दिया है।

घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीत कालीन सत्र में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन फिर उन्होंने इस एक्ट और सेना के इस कुकृत्य का बचाव करते हुए यह बयान दिया कि सेना के जवानों ने आ रहे मजदूरों के वैन को रोकने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी जिससे उन्हें मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। जबकि गांव वालों का कहना है कि गोली सामने से चलाई गईं। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से नागालैंड के लोगों में और भी आक्रोश बढ़ा।

अफ्स्पाः कथित शांतिबहाली के बहाने आर्मी को खुली छूट

अफ्स्पा कानून सबसे पहले नागालैंड और फिर धीरे-धीरे पूर्वोत्तर की सात बहन कही जाने वाली सातों राज्यों और कश्मीर में लागू किया गया। जिसमें आर्मी को इन राज्यों में तथाकथित शांति बहाली के नाम पर शक्ति प्रयोग करने की खुली छूट दी गई है। परिणाम स्वरूप सेना के जवानों द्वारा आम नागरिकों की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, हिरासत में मौत, प्रताड़ना जैसी खबरें आम हैं।

अफ्स्पा जैसे कानून वहां की पुलिस और सेना को कानून के दुरुपयोग की खुली छूट देता है। उनके कृत्यों को सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है और ना ही सरकार के आदेश के बिना आरोपी या दोषी अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह एक्ट सेना को शक के बिना पर किसी को गोली मारने, बगैर वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने जैसे अधिकार देता है।

न्याय की हर आवाज़ कुचलने का हथियार

नागालैंड वासियों का कहना है कि कभी यह महसूस ही नही हुआ कि यह क़ानून यहां शांति बहाल करने की दिशा में काम किया हो। बल्कि इसका प्रयोग राज्य में उपल्ब्ध खनिजों की हो रही लूट के विरोध में उठ रहे आवाजों को हमेशा दबाने के लिए किया गया।

आठ गांव वालों और छः मजदूरों की हत्या के बाद वहां के रहवासियों का कहना है कि सरकार हमे हमेशा देश दुनिया के सामने एक दिखावटी चीज के रुप में प्रस्तुत करती है। लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं हमे और हमारे प्रदेश को देखते हैं। लेकिन कोई भी हमारी पीड़ा को ना ही देखता है, ना ही समझता है और ना ही कुछ बोलता है।

'मेहनतकश' वेबसाइट से जुड़ें

मज़दूर वर्ग के अपने वैकल्पिक मीडिया के तौर पर खड़ा '**मेहनतकश**' वेबसाइट पूरी मेहनतकश आवाम का है। अपने संघर्ष को मजबूत करने के लिए आइए www.mehnatkash.in से जुड़ें।

कनाडाः कोविड टीका की बाध्यता के ख़िलाफ बड़ा आन्दोलन

कोविड प्रतिबंधों और ड्राइवरों को अनिवार्य तौर पर कोविड टीका लगाने के फरमान के ख़िलाफ कनाडा के ट्रक ड्राइवरों का अमेरिकी सीमा से लगी राजधानी ओटावा में आन्दोलन के दौरान राजधानी घेर लिया। "फ्रीडम कॉन्वॉय" आंदोलन में हजारों कनाडाई नागरिक भी शामिल हुए। आंदोलन को तमाम देशों के लोगों का समर्थन मिला।

उधर कनाडा की सरकार ने 6 फरवरी को राजधानी में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जबकि अगले दिन कोकनाडा की एक अदालत ने ओटावा शहर में वाहनों के हार्न के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए 10 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निषेधाज्ञा लागू कर दी। प्रदर्शनकारी कनाडा संसद के बाहर आजादी के नारों के साथ हाथों में काले झंडे लिए डटे हैं। उसी दौरान परिवार सहित प्रधानमंत्री ट्रूडो को गुप्त स्थान पर छिपने के लिए भागना पड़ा।

ज्ञात हो कि कनाडा में 15 जनवरी से ट्रक ड्राइवरों को सीमा पार करने के लिए टीकाकरण का सबूत दिखाना जरूरी हो गया। इससे नाराज ट्रक ड्राइवरों का 22 जनवरी से शुरू विरोध प्रदर्शन 29 जनवरी को व्यापक हो गया। यह धीरे–धीरे कोविड–19 स्वास्थ्य प्रतिबंधों और ट्रूडो सरकार के खिलाफ एक व्यापक विरोध में बदल गया। उन्होंने राजधानी की सड़कों पर अपने बड़े रिग खड़े कर दिए तथा टैंट लगाकर अस्थायी झोंपड़ियां बना लीं।

आंदोलन में हजारों कनाडाई नागरिक शामिल हो गये। वे सभी कनाडा में नई कोविड गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन को 65 से अधिक देशों के लोगों का समर्थन प्राप्त है। निदरलैंड के डचों ने उनके प्रति एकजुटता प्रदर्शित की। अमेरिका से भी हजारों लोग इनके समर्थन में आगे आए।

आन्दोलन के नेतृत्व पर दक्षिणपंथी लोगों का वर्चस्व होने की ख़बर है। फिर भी कोविड टीकाकरण के ख़िलाफ व्यापक आन्दोलन है।

अमेरिका : प्यूर्टो रिको में शिक्षकों की हड़ताल

9 फरवरी को प्यूर्टो रिको में शिक्षकों ने सरकार और एफसीबी (फिस्कल कंट्रोल बोर्ड) के खिलाफ़ हड़ताल की। सरकारी क्षेत्र के दूसरे कर्मचारी वर्गों, जैसे पुलिस और अग्निशमन के कर्मचारियों ने भी शिक्षकों का साथ दिया।

उस दिन ज्यादातर सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों ने काम बंद रखा। इस प्रदर्शन का आह्वान शिक्षकों को औपचारिक तौर पर प्रतिनिधित्व देने वाले शिक्षक संघ या किसी अखिल राष्ट्रीय संगठन ने नहीं किया था।

हज़ारों लोग राजधानी सान जुआन के दक्षिणी हिस्से में एकत्रित हो गए, जहाँ से उन्होंने फोर्ट अलेजा तक रैली निकाली। इस दौरान पुराने शहर की सारी गलियां भीड़ से भर गईं। देश के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।

शिक्षकों की माँग अच्छे वेतन, पेंशन व भत्तों में हुई कटौती को वापस लेने और प्यूर्टो रिको के गवर्नर पेड्रो पिएरलुईसी के इस्तीफे की है।

शिक्षक चार फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्यूर्टो रिको में 2016 से एफसीबी प्रभार में है। एफसीबी द्वारा हुए समझौते के मुताबिक़ सरकारी शिक्षकों का वेतन महज़ 470 डॉलर बढ़ाया जाएगा, जिसे दो चरणों में दिया जाएगा।

बांगलादेश : पुलिसिया जुल्म के ख़िलाफ सड़कों पर उतरे छात्र

बांग्लादेश के सिलहट जिले में विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरुद्ध, पूरे देश के साथ राजधानी ढाका में भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ सत्ता की क्रूरता की तीखी निंदा की।

16 जनवरी को शाहजलाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्रावास में प्रतिनिधि निकाय गठन व अन्य माँग के साथ प्रदर्शन किया था। पुलिस के जबरदस्त दमन में कम से कम 40 छात्र घायल हो गए थे।

उसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने परिसर के भीतर ही विरोध मार्च निकाला और कुलपति फरीद उद्दीन अहमद का पुतला फूंका, हॉल प्रोवोस्ट जफरीन अहमद और सहायक प्रोवोस्ट जोबैदा कनक खान को हटाने की भी माँग की।

सूडान : सैन्य तख़्तापलट के ख़िलाफ भारी दमन के बीच आन्दोलन तेज

उत्तर अफ्रीका के देश सूडान में 25 अक्टूबर 2021 को हुई सैन्य तख़्तापलट के बाद से 18वीं बार बड़े स्तर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 फरवरी को सूडान में सुरक्षाबलों ने दो और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। तख़्ता पलट के विरोध में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो चुकी है। 172 घायलों को दर्ज किया गया है।

सुरक्षाबलों द्वारा आंसूगैस के गोले दागने से 31 अन्य को सिर में चोट आई। कम से कम 10 लोगों का गैस से दम घुटा। सुरक्षाबलों ने पांच प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों से कुचल दिया।

देश की राजधानी खार्तूम में विभिन्न जगह प्रदर्शन शुरू हुए। राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे लोगों के साथ बेइंतहां हिंसा हुई। राष्ट्रपति भवन में तख़्तापलट के नेता और सेना प्रमुख अब्दुल फतह अल–बुरहान का निवास है।

बड़े स्तर के प्रदर्शन, रैलियां और शासन द्वारा बैरिकेडिंग करने की घटनाएं सूडान के अलग–अलग राज्यों के 17 शहरों में दर्ज हुई हैं।

सूडान के उत्तरी राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने सूडान की सैन्य सरकार की समर्थक पड़ोसी देश इजिप्ट में माल ले जाने वाले ट्रकों की बैरिकेडिंग कर दी। इस बीच सैन्य जुंटा ईआरसी के सदस्यों के ख़िलाफ़ हो गई है। 2019 में दिसंबर क्रांति के बाद बाशिर को सत्ता से बेदखल करके ईआरसी की स्थापना हुई थी। इसका काम एनसीपी के सदस्यों को राज्य के ढांचे से बाहर करना और गैर कानूनी ढंग से हासिल की हुई संपत्ति को जब्त करना था।

राजस्थान

बिजली मनमानी के ख़िलाफ आन्दोलन के साढ़े तीन साल
माँगें पूरी होने तक संघर्ष रहेगा जारी

मेहनतकश प्रतिनिधि

हनुमानगढ़। आसमान छूती बिजली दरों; बिजली बिलों में स्थाई शुल्क, फ्यूअल चार्ज जैसे गैरवाजिब शुल्कों; जन-विरोधी ऊर्जा नीतियों और बिजली विभाग में भ्रष्टाचार से जनता के साथ हो रही धांधली तथा हर परिवार के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली आदि मुद्दों के साथ बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति, हनुमानगढ़ के बिजली आंदोलन को साढ़े तीन साल हो गये।

आंदोलन की शुरुआत उत्तर राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले की नोहर-भादरा के इलाकों से 3 सितंबर 2019 को हुई थी। तब से अब तक यह आंदोलन हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में ना सिर्फ़ बिजली के मुद्दे को मुख्य राजनीतिक मुद्दों में से एक बना दिया है बल्कि आम जनता में अपने अधिकारों के लिए बिना किसी चुनावी नेता के खुद के संघर्ष के महत्व के प्रति चेतना को भी विकास का एक नया चरण जोड़ा है।

पूरे देश में बिजली उत्पादन में अहम स्थान रखने के बाद भी राज्य सरकार देश में सबसे महंगी बिजली अपने ही राज्य की आम जनता को बेचती है। लगातार दो साल से बार-बार

ज्ञापन, विरोध-प्रदर्शन एवं आंदोलन के बाद भी प्रशासन बहरा बना हुआ है।

जबकि राजस्थान में एक कमरे के घर में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल भरना मतलब महीने भर की अधिकाशं कमाई सौंप देना है। सरकारी दफ्तरों, पुलिस थानों में लाखों की बिजली खपत भी होती है और बिल भी जमा नहीं करवाया जाता।

22 हजार मेगावाट प्रति वर्ष बिजली उत्पादन के साथ राजस्थान पूरे भारत में सबसे अधिक बिजली पैदा करने वाले राज्यों में से एक है। यहां कोटा, सूरतगढ़, कालीसिंध में कोयले से संचालित पॉवर प्लांट हैं तो रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा चलित बिजली घर है। साथ ही पनबिजली, पवन ऊर्जा, सौर उर्जा आदि गैर परम्परागत तरीके से भी बिजली बन रही है। इसके बावजूद भी आम जनता के लिए बिजली की दरें बढ़ाकर उसकी पहुंच से दूर कर दी है।

राजस्थान सरकार ने अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पॉवर, जेएसडब्लू और ग्रीनको एनर्जी को सौर उर्जा प्लांट लगाने के लिए 69 हैक्टयर जमीन कौडियों के भाव दे दी है, जिसमें 1710 करोड़ जमीन भूमि सुरक्षा राशि को भी घटाकर 342 करोड़ कर दिया है जो कि बैंक गारंटी के रूप में जमा होगी। जबकि आम जनता को ज़रूरत की बिजली में कोई रियायत नही है।

बिजली विभाग का निजीकरण कर बिजली कम्पनियों को मुनाफे की खुली छूट दे दी गई है। जबकि आम जनता का दोहन काफी तेज है।

बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति माँगो के साथ लगातार संघर्षरत है और दृढ़संकल्पित है। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्रमुख माँगें-

कोरोना में बकाया बिजली बिल माफ करो; प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दो; घटिया और तेज चलने वाले मिटर तुरन्त बदलो; बिजली के निजीकरण पर रोक लगाओ; स्थाई शुल्क, अन्य शुल्क लेना बंद करो।

हरियाणा

नफ़रती राजनीति का विरोध करो!
हिजाब पहने पीड़ित मुस्लिम छात्राओं के पक्ष में खड़े हो!

कुरुक्षेत्र। जन संघर्ष मंच, हरियाणा ने कर्नाटक के युनिवर्सिटी-कालेज में हिजाब पहने मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को कालेज में एंट्री पर रोक लगाने के विरोध में मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया।

महासचिव सुदेश कुमारी ने कहा कि मोदी सरकार व जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां हिन्दू-मुस्लिम समुदाय में नफरत पैदा करके एक छात्रा को दूसरी छात्रा, एक सहपाठी को दूसरे सहपाठी, एक नागरिक को दूसरे नागरिक के ख़िलाफ खडा किया जा रहा है। कालेजों में सैंकडों लडके भगवा स्कार्फ व झण्डे फहरा रहे है और हिजाब पहने हुई छात्रा का पीछा कर घेरने डराने की कोशिश करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इससे देश में डर का माहौल, वैज्ञानिक चिन्तन की जगह कट्टरता बढती जा रही है और सारे देश में वातावरण में साम्प्रदायिक जहर घुलता जा रहा है।

उन्होंने इसकी कडे शब्दों में निन्दा की और कहा कि ये सरकारें संवैधानिक अधिकारों की भी धज्जियां उड़ा रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौमाता, लव जिहाद, नमाज व अब हिजाब के नाम पर आम जनता में धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाने का काम तेज कर दिया है।

सरकारें हिंदुत्ववादी काली ताकतों को आगे करके बेतहाशा मंहगाई, बेरोजगारी बढा रही है। जीवनोपयोगी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। सरकारी सम्पत्तियों को पूंजीपतियों को कौडी के भाव बेचा जा रहा है।

चन्द्र रेखा ने कहा कि मोदी-योगी सरकार के दौर में महिला असुरक्षा तेजी से बढ़ी है। हाथरस कांड, बुलंदशहर कांड, कासगंज में पुलिस कस्टडी में युवक की हत्या आदि इनके काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त है। बेरोजगार युवकों को वे पकौड़े व गोबर के उपले से स्वरोजगार अपनाने की सलाह दे रही हैं।

ऊषा कुमारी ने अपील की कि हिंदू-मुस्लिम की नफरती राजनीति से खुद व अपने बच्चों को दूर रखें । सारे देश को बेच देने में लगी इन सरकारों से लड़ने हेतु अपनी एकता बनाए रखें और जन साधारण, दलित, मजदूर, महिलाओं व अल्पसंख्यक समुदायों पर हर किस्म के अन्याय का विरोध करने के लिये एकजुट होकर आगे बढें। प्रदर्शन में पूजा, कोमल, सोनिया व काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।

भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत की 91वीं बरसी (23 मार्च) के मौके पर

आओ शहीदे आज़म भगत सिंह को जानें!

आज हम एक ऐसे दौर में हैं, जब पूँजीवादी लूट, दमन और झूठ-फ्राड भरे विचारों की पूरी आँधी बह रही है। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह मेहनतकश जन के अहम नायक हैं। लेकिन कहीं भगत सिंह 'यंग्री यंग मैन' के रूप में निरूपित हो रहे हैं, तो सत्ता प्रतिष्ठानों से लेकर कतिपय ताकतें भगत सिंह को पगड़ी पहनाकर पंथी घोषित कर रही हैं।

आज यह स्थापित हो चुका है कि भारतीय मुक्ति संग्राम की दो धाराओं में भगतसिंह क्रान्तिकारी धारा के प्रतीक पुरुष थे। अपनी शहादत के पूर्व तक भगतसिंह वैचारिक परिपक्वता और क्रान्तिकारी कार्यक्रम की स्पष्ट समझ के साथ गाँधी जी के समान्तर खड़े हो चुके थे। इसके बावजूद बड़े ही साजिशाना तरीके से भगतसिंह की क्रान्तिकारी धारा को 'बन्दूक और पिस्तौल से आज़ादी लाने वाले' युवा शहीदों के रूप में ही स्थापित की जाती रही।

भगत सिंह अपने समय में जारी मुक्तिकामी संघर्ष में क्रान्तिकारी आन्दोलन के लगातार विकसित और परिक्व होने के क्रम में उसके शीर्ष पर पहुँचे थे। वे उस वक्त के वैश्विक समर और वैचारिक वैज्ञानिक जीवन दृष्टि को भी आत्मसात कर खुद परिपक्व हो सके थे।

तभी तो एक तरफ खुद आर्यसमाजी पृष्ठिभूमि से यात्रा कर नास्तिक और द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी बने तो दूसरी तरफ धर्म आधारित आतंकवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन को जन संगठन पर आधारित क्रान्तिकारी आन्दोलन, पार्टी निर्माण की सुस्पष्ट सोच तक पहुंच सके और समाजवादी क्रान्ति का लक्ष्य प्रतिपादित किया। 'क्रान्तिकारी कार्यक्रम का मसविदा' उसकी चरम परिणति थी।

1920 का दशक इतिहास में भारी उथल-पुथल भरा रहा है। 1917 में रुसी क्रान्ति दुनियाभर की मेहनतकश अवाम के लिए एक नए दौर का आगाज़ था। इसने साम्राज्यवाद व पूँजीवाद पर वैचारिक और व्यवहारिक दोनो धरातलों पर श्रेष्ठता साबित की और मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी निर्माण के नित नये कीर्तिमान स्थापित किए। साथ ही प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका ने भी दुनियाभर में जारी मुक्तिकामी संघर्षों को नया आयाम दिया।

भारत में रौलेटऐक्ट के आने और जालियावाला बाग के खूनी ताण्डव, असहयोग आन्दोलन से पूरे देश में आन्दोलन का शानदार उभार और

गाँधीजी द्वारा अचानक उसे वापस लेने से जनता में पैदा गुस्सा व निराशा ने नयी सुगबुगाहट पैदा कर दी थी। जिसने 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' के गठन का आधार मजबूत किया।

इसी दौर में पूरे देश में मज़दूर आन्दोलन नये आवेग से आगे बढने और सांगठनिक शक्ल लेने लगा था। ट्रेडयूनियनों के बनने से लेकर एटक के गठन, मई दिवस मनाने की परम्परा की शुरुआत और कम्पनशेसन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट सहित कुछ श्रम कानूनी अधिकारों को हासिल करने का यह महत्वपूर्ण दौर था।

किसानो, छात्रों-युवाओं के आन्दोलन नये रूप में विकसित होने लगे थे। कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की जद्दोजहद आगे बढ़ रही थी। दमन के बीच देश का मुक्तिकामी संग्राम नयी करवटें ले रहा था। क्रान्तिकारी आतंकवादी कार्यदिशा के गर्भ से क्रान्तिकारी जनदिशा और धर्मआधारित सोच वैज्ञानिक भौतिकवादी सोच की दिशा में विकसित होने लगी थी, जिसे महत्वपूर्ण मुकाम पर भगतसिंह और उनके साथियों ने पहुंचाया।

युगान्तर, अनुशीलन से लेकर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और ग़दर पार्टी की क्रान्तिकारी परम्परा को ही विकसित करते हुए भगतसिंह और उनके साथी वैज्ञानिक समाजवाद तक की यात्रा पूरी कर सके। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेतृत्व से सीखते हुए मौलिक चिन्तन व अध्ययन से देश की तत्कालीन ठोस परिस्थितियों के सटीक मुल्यांकन द्वारा क्रान्ति की आम दिशा निर्धारित की।

भगतसिंह का पूरा चिन्तन बेहद अल्प समय में तूफानी गति वाली विचार यात्रा है। किताब और समाज से अध्ययन की जबर्दश्त भूख वैचारिक विकास की अहम कड़ी थी। कूका व कूकी विद्रोह हो, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या ग़दर आन्दोलन, शहीद कर्तार सिंह सराभा हों या काकोरी के शहीद, तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक धटनाएं हों या धर्म, जाति, अछूत समस्या अथवा बढ़ती साम्प्रदायिकता, हर सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए आगे बढ़ते जाना भगत सिंह व उनके साथियों की कुशाग्र बुद्धि और बढ़ती परिपक्वता का ही प्रमाण है।

विकास के इसी क्रम में भगतसिंह ने अपने अन्तिम दस्तावेजों में क्रान्ति के लिए पेशेवर क्रान्तिकारियों पर आधारित एक पार्टी और उसके नेतृत्व में जन संगठन बनाने की दिशा प्रतिपादित की। गाँधी और कांग्रेस के समकक्ष उपनिवेश के ख़िलाफ मुक्ति की एक सुसंगत सोच व राष्ट्रवाद की सही समझदारी स्थापित करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद को ही वास्तविक विकल्प के रूप में में वे विकसित कर सके।

इसीलिए महज 23 साल की उम्र में शहादत देने वाले भगत सिंह शहीद-ए-आज़म हैं।

क़ौमी एकता का प्रतिक 1946 का नौ-सेना विद्रोह

नाविकों द्वारा संघर्ष की शुरुआत 18 फरवरी को घटिया भोजन, भेदभाव और नस्ली अपमान के विरोध में हुई। 19 फरवरी को हड़ताल 22 समुद्री जहाजों में फैल गयी थी। बड़ी संख्या में मज़दूरों, नागरिकों और दुकानदारों ने नौसैनिकों से एकता प्रदर्शित की।

संघर्ष ने व्यापक रूप ले लिया था। जन कमेटियाँ बनी। लेकिन दमन भी तेज हो गया।

शानदार संघर्ष की समाप्ति 23 फरवरी को नाविकों द्वारा समर्पण करने के रूप में हुई।

आईये, हम 18 से 23 फ़रवरी 1946 के उस संघर्ष को याद करें, जिसने मज़दूर वर्ग की स्वतंत्र पहल और ताक़त को दर्शाया। जिसने जाति-धर्म के बंटवारे की दीवार को तोडकर संग्रामी एकता बनाई।

तूफ़ानी पितरेल पक्षी का गीत

❍ **मैक्सिम गोर्की**

मज़दूर वर्ग के महान रचनाकार मैक्सिम गोर्की का नाम दुनिया के साहित्य में सबसे ऊंचे दर्जे में है। 'माँ' जैसी अमर कृति के रचयिता गोर्की के तमाम उपन्यास, कहानियाँ, लघु कथाएं, संस्मरण और आलेख मज़दूर पक्षीय साहित्य का आधार स्तंभ हैं। जन लेखक गोर्की के जन्मदिवस 28 मार्च पर उनकी एक शानदार रचना प्रस्तुत है।

यह प्रसिद्ध रचना गोर्की ने 1905 की पहली रूसी क्रान्ति के दौरान क्रान्तिकारी मज़दूर वर्ग की अपार ताक़त और शौर्यवान भूमिका से उद्वेलित होकर लिखी थी जो पूँजीवादी दुनिया की अमानवीयता को सर्वहारा वर्ग द्वारा दी गई चुनौती का अमर दस्तावेज बन गई। –संपादक

"हमारे इस संसार में जो कुछ अति सुन्दर है उनका निर्माण मानव श्रम, और उसके कुशल हाथों ने किया है। हमारे सभी भाव और विचार श्रम की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं और यह ऐसी बात है, जिसकी कला, विज्ञान तथा प्रविधि का इतिहास पुष्टि करता है।" –गोर्की

समुद्र की रूपहली सतह के ऊपर
हवा के झोंकों से
तूफान के बादल जमा हो रहे हैं और
बादलों तथा समुद्र के बीच
तूफानी पितरेल चक्कर लगा रहा है
गौरव और गरिमा के साथ,
अन्धकार को चीरकर
कौंध जाने वाली विद्युत रेखा की भाँति।
कभी वह इतना नीचे उतर आता है
कि लहरें उसके पंखों को दुलराती हैं,
तो कभी तीर की भाँति बादलों को चीरता
और अपना भयानक चीत्कार करता हुआ
ऊँचे उठ जाता है,
और बादल उसके साहसपूर्ण चीत्कार में
आनन्दालतिरेक की झलक देख रहे हैं।
उसके चीत्कार में तूफान से
टकराने की एक हूक ध्वनित होती है!
उसमें ध्वनित है
उसका आवेग, प्रज्वलित क्षोभ और
विजय में उसका अडिग विश्वास।
गंगाचिल्लियां भय से बिलख रही हैं
पानी की सतह पर
तीर की तरह उड़ते हुए,
जैसे अपने भय को छिपाने के लिए समुद्र की
स्याह गहराइयों में खुशी से समा जायेंगी।
ग्रेब पक्षी भी बिलख रहे हैं।
संघर्ष के संज्ञाहीन चरम आह्लाद को
वे क्याक जानें?
बिजली की तड़प उनकी जान सोख लेती है।
बुद्धू पेंगुइन
चट्टानों की दरारों में दुबक रहे हैं,
जबकि अकेला तूफानी पितरेल ही
समुद्र के ऊपर
रूपहले झाग उगलती
फनफनाती लहरों के ऊपर
गर्व से मंडरा रहा है!
तूफान के बादल
समुद्र की सतह पर घिरते आ रहे हैं
बिजली कड़कती है।
अब समुद्र की लहरें
हवा के झोंको के विरूद्ध
भयानक युद्ध करती हैं,
हवा के झोंके अपनी सनक में उन्हें
लौह-आलिंगन में जकड़ उस समूची
मरकत राशि को चट्टानों पर दे मारते हैं
और वह चूर-चूर हो जाती है।
तूफानी पितरेल पक्षी चक्कार काट रहा है,
चीत्कार कर रहा है
अन्धकार चीरती विद्युत रेखा की भाँति,
तीर की तरह
तूफान के बादलों को चीरता हुआ
तेज धार की भाँति पानी को काटता हुआ।
दानव की भाँति,
तूफान के काले दानव की तरह
निरन्तर हंसता, निरन्तर सुबकता
वह बढा जा रहा है- वह हंसता है
तूफानी बादलों पर और सुबकता है
अपने आनन्दातिरेक से!
बिजली की तड़क में चतुर दानव
पस्ती के मन्द स्वहर सुनता है।
उसका विश्वास है कि बादल
सूरज की सत्ता मिटा नहीं सकते,
कि तूफान के बादल सूरज की सत्ता को
कदापि, कदापि नहीं मिटा सकेंगे।
समुद्र गरजता है... बिजली तड़कती है
समुद्र के व्यापक विस्तार के ऊपर
तूफान के बादलों में
काली-नीली बिजली कौंधती है,
लहरें उछलकर विद्युत अग्निवाणों को
दबोचती और ठण्डी कर देती हैं,
और उनके सर्पिल प्रतिबिम्ब ,
हांफते और बुझते
समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं।
तूफान! शीघ्र ही तूफान टूट पड़ेगा!
फिर भी तूफानी पितरेल पक्षी गर्व के साथ
बिजली के कौंधों के बीच गरजते-चिंघाड़ते
समुद्र के ऊपर मंडरा रहा है
और उसके चीत्कार में
चरम आह्लाद के प्रतिध्वनि है-
विजय की भविष्यपवाणी की भाँति...
आए तूफान,
अपनी पूरी सनक के साथ आए।

(अनुवाद 'युयुत्सा', मई-जून '68 अंक से साभार)

(गोर्की ने इस गीत में बादलों और समुद्र के बीच गवीली उड़ानें भरते निर्भीक पितरेल पक्षी को साहसी और जुझारू मज़दूर के रूप प्रस्तुत किया है जो भयानक तूफान का चुनौतीपूर्ण आह्वान कर रहा है। संघर्षरत मज़दूर वर्ग के लिये यह प्रेरणादायी है। –सम्पादक)

कार्टूनिस्ट की नज़र में... साभार

भगत सिंह की बात सुनो, परिवर्तन की राह चुनो!

भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहें!

शहादत दिवस 23 मार्च (1931)

लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्गचेतना की जरूरत है। ग़रीब मेहनतकश व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूँजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकण्डों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ नहीं करना चाहिए। संसार के सभी ग़रीबों के, चाहें वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताक़त अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों में तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा, इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।

शहीदे आज़म भगत सिंह